कुरुक्षेत्र

हमारी अन्य पत्रिकाएँ

बाल भारती

नन्हें मुन्नों की सचित्र मासिक पत्रिका जिसमें सरल भाषा में मनोरंजक कहानियाँ, शिक्षाप्रद कविताएँ, उपयोगी लेख और रेखाचित्र प्रस्तुत किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ४.०० रुपये : एक प्रति ३५ नये पैसे

ग्राम सेवक

सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा प्रकाशित 'ग्राम-सेवक' मासिक पत्र का हिन्दी संस्करण ग्रामवासियों के उपयोगार्थ निकाला गया है जिससे कि ग्राम-सुधार की विभिन्न योजनाओं के बारे में ग्रामीण जनता को सामयिक सूचना और समाचार मिलते रहें। भाषा अति सरल और छपाई सुन्दर।

वार्षिक मूल्य १.२५ रुपये : एक प्रति १५ नये पैसे

आकाशवाणी प्रसारिका

'आकाशवाणी प्रसारिका' (रेडियो संग्रह) आकाश-वाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रसारित उच्च कोटि की चुनी हुई वार्ताओं, कविताओं तथा कहानियों आदि का संग्रह है। गेट-अप सुन्दर।

एक प्रति ५० नये पैसे

आजकल

हिन्दी के इस सर्वप्रिय सचित्र मासिक पत्र में भारत भर के प्रसिद्ध साहित्यकारों के विचारपूर्ण लेख, कविताएँ तथा कहानियाँ पढ़िए। साथ ही 'आजकल' में भारतीय कला व संस्कृति के अतिरिक्त अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर प्रामाणिक लेख प्रकाशित किए जाते हैं।

वार्षिक मूल्य ६.०० रुपये : एक प्रति ५० नये पैसे

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

पो० बॉ० २०११, ओल्ड सेक्रटेरिएट, दिल्ली-८

कुरुक्षेत्र

सामुदायिक विकास मन्त्रालय का मासिक मुखपत्र

वर्ष २] अक्तूबर १९५७ : आश्विन-कार्तिक १८७९ [अंक १२

विषय-सूची

आवरण चित्र [कलाकार : सुशील सरकार]		
बापू के कुछ विचार	...	२
राष्ट्र के गौरव	...	४
दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा	सत्य	५
सम्पन्न गाँव	ठाकुर राजबहादुर सिंह	७
भारत के गाँवों में बिजली	ए० पी० सीतापति	९
सहयोगियों की राय—	...	
सहकारी कृषि		११
कृषि सहकारिता का अभियान		११
सहकारी खेती		१२
सामुदायिक संवाद	...	१३
२ अक्तूबर १९५७	एक किसान पुत्र	१४
चित्रावली	...	१५-१८
बी० डी० ओ० साहब की खिदमत में	एक किसान पुत्र	१९
ताँगेवाला	विवेकरंजन भट्टाचार्य	२२
विस्तार की परिभाषा	जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव	२६
प्रगति के पथ पर	...	३०

सम्पादक :
केशवगोपाल निगम
[सहकारी सम्पादक, प्रकाशन विभाग]
उप-सम्पादक : *अशोक*

मुख्य कार्यालय
ओल्ड सेक्रेटेरिएट,
दिल्ली—८

वार्षिक चन्दा २.५० रुपये
एक प्रति का मूल्य २५ नये पैसे

विज्ञापन के लिए
बिजनेस मैनेजर, पब्लिकेशन्स डिवीजन,
दिल्ली—८ को लिखें।

बापू के कुछ विचार

गाँवों की सेवा करने से ही सच्चे स्वराज्य की स्थापना होगी। अन्य सब प्रयत्न निरर्थक सिद्ध होंगे।

× × ×

अगर गाँव नष्ट हो जाएँ, तो हिन्दुस्तान ही नष्ट हो जा गा। वह हिन्दुस्तान ही नहीं रह जाएगा। दुनिया में उसका 'मिशन' ही खत्म हो जाएगा।

× × ×

सच तो यह है कि हमें गाँवोंवाला भारत और शहरोंवाला भारत, इन दो में से एक को चुन लेना है। देहात उतने ही पुराने हैं, जितना कि यह भारत पुराना है। शहरों को विदेशी आधिपत्य ने बनाया है। आज तो शहरों का बोलबाला है और वे गाँवों की सारी दौलत खींच लेते हैं। इससे गाँवों का ह्रास और नाश हो रहा है। गाँवों का शोषण खुद एक संगठित हिंसा है। अगर हमें स्वराज्य की रचना अहिंसा के पाये पर करनी है, तो गाँवों को उनका उचित स्थान देना होगा।

× × ×

हमारे देश की नग्न दरिद्रता और बेकारी को देख कर मैं सचमुच रोया हूँ, परन्तु मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि इसके लिए हमारी अपनी लापरवाही और जहालत ही जिम्मेदार है। हमें श्रम के गौरव का ज्ञान नहीं है। उदाहरण के लिए एक मोची जते बनाने के सिवाय और कुछ नहीं करेगा, और सब तरह के श्रम को वह अपनी शान के खिलाफ़ समझेगा। यह गलत ख्याल मिटना ही चाहिए। जो लोग अपने हाथ-पैरों से ईमानदारी के साथ काम करना चाहें, उन सबके लिए भारत में काफी काम है। ईश्वर ने सभी को काम करने और अपनी दैनिक आजीविका से अधिक कमाने की शक्ति दी है। जो भी उस शक्ति से काम करने को तैयार है, उसे अवश्य काम मिल जाएगा। जो आदमी ईमानदारी से कमाना चाहता है, उसके लिए कोई मेहनत छोटे दर्जे की नहीं है। बात इतनी है कि हम परमात्मा के दिए हुए हाथ-पैरों का इस्तेमाल करने के लिए तैयार रहें।

× × ×

मेरी कल्पना में ग्राम-इकाई मजबूत से मजबूत होगी। मेरी कल्पना के गाँव में १००० आदमी रहेंगे। ऐसे गाँव को अगर स्वावलम्बन के आधार पर अच्छी तरह संगठित किया जाए तो वह बहुत कुछ कर सकता है।

× × ×

हिन्दुस्तान के सच्चे लोकराज में शासन की इकाई गाँव होगा। अगर एक गाँव भी पंचायत राज चाहता है, जिसे अंग्रेजी में रिपब्लिक कहते हैं, तो कोई उसे रोक नहीं सकता। सच्चा लोकराज केन्द्र के बैठे हुए बीस आदमियों से नहीं चल सकता। उसे हर गाँव के लोगों को नीचे से चलाना होगा।

२ अक्तूबर बापू का जन्म दिन है। सामुदायिक विकास-योजनाओं के श्री-गणेश के लिए इससे उपयुक्त कौन-सा दिन हो सकता था। आइए, अपनी पाँचवीं वर्षगाँठ पर बापू के प्रिय ग्राम-विकास कार्य में जी जान से जुट जाने का प्रण करें।

प्रधान मन्त्री का सन्देश

राष्ट्र के गौरव

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम अब आधे से ज्यादा ग्रामीण भारत में पहुँच चुका है और उसका कार्य बड़ी तेजी से बढ़ रहा है। मेरी रुचि मुख्यत: इस बात में नहीं है कि इस कार्यक्रम का लाभ कितने गाँवो के कितने लोगों को पहुँचने लगा है बल्कि इस बात में है कि किस ढंग से काम हो रहा है और गाँववालों में उत्साह जगाने तथा उन्हें अच्छे नागरिक बनाने की दिशा में कितनी सफलता मिल रही है।

सदियों से किसान ही भारत का बोझ ढोता चला आया है। इसलिए किसान की दशा को सुधारना अत्यन्त आवश्यक है और उसी पर भारत का भविष्य निर्भर है। आज हम दो बातों पर सबसे अधिक जोर दे रहे हैं—अनाज की उपज बढ़ाना और घरेलू तथा छोटे उद्योगों की स्थापना करना। अब वह समय आ गया है जबकि प्रत्येक गाँव और उसका प्रत्येक परिवार निश्चित और आयोजित ढंग से काम करे और निर्धारित लक्ष्य पूरे करे।

देश के अधिकांश किसानों के पास मुश्किल से १ या २ एकड़ जमीन होने के कारण एक सीमा तक ही उपज बढ़ाई जा सकती है और किसान की दशा सुधारी जा सकती है। देश में जमीन पर निर्भर लोगों की संख्या बहुत अधिक है। इसका मतलब यह है कि बहुत से लोगों को रोजी का दूसरा तरीका अपनाना होगा। इसी दृष्टि से घरेलू और छोटे उद्योगों का विशेष महत्व है। इसमें संशय नहीं कि बड़े-बड़े उद्योगों की स्थापना होने पर देहात से बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित होंगे, लेकिन इससे बेकारी की समस्या पूरी तरह हल नहीं होगी। घरेलू तथा छोटे उद्योगों का विकास करके ही यह समस्या उत्तरोत्तर सुलझाई जा सकती है।

फिर भी, प्रश्न यह है कि बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीनें होने के कारण किसान अपनी स्थिति कैसे सुधार सकेंगे? जब तक वे सहकारी ढंग से काम न करें, तब तक वे खेती की आधुनिक प्रणालियों का लाभ नहीं उठा सकते। इसलिए सहकारिता भावी विकास की कुंजी है और सहकारी आन्दोलन को देश भर में फैलाना चाहिए।

इस तरह के विकास के लिए सिर्फ ऋण देने वाली सहकारी समितियाँ ही पर्याप्त नहीं हैं। सहकारी आन्दोलन को और व्यापक बनाना चाहिए। सहकारी आधार पर मिल कर खेती करने के बारे में इधर कुछ विवाद रहा है। किन्तु मैं समझता हूँ कि जहाँ कहीं यह तरीका सम्भव है और जहाँ लोग इसके लिए तैयार हैं, वहाँ यह अच्छा सिद्ध होगा, किन्तु इसमें किसी पर कोई दबाव नहीं होना चाहिए और लोगों को स्वेच्छा से इसमें शामिल होना चाहिए।

मैं एक या दो या तीन गाँवों की छोटी सहकारी समितियों के पक्ष में हूँ। यह जरूरी है कि सहकारी संस्थाओं का नियन्त्रण ऊपर से न हो, यानी उनके संचालन में अफ़सरियत की भावना न हो। लोगों की आत्म-निर्भरता तथा आत्मविकास की भावना से ही उनका कार्य चलना चाहिए। सहकारी आन्दोलन बिलकुल लोकतन्त्री ढंग से चलाना चाहिए।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के द्वारा एक विशाल कार्य हाथ में लिया गया है और इसके द्वारा धीरे-धीरे बड़ी संख्या में प्रशिक्षित कर्मचारी तैयार किए जा रहे हैं। अगर उन्हें ठीक ढंग से काम सिखाया गया और उन्होंने ठीक से काम किया तो वे निश्चय ही राष्ट्र के गौरव सिद्ध होंगे।

—जवाहरलाल नेहरू

नई दिल्ली
१६ सितम्बर, १६५७

श्रव्य-दृश्य शिक्षा

यह सिद्ध हो चुका है कि श्रव्य-दृश्य शिक्षा आचार एवं विचार के आदान-प्रदान का एक अच्छा साधन है। मनुष्य के हृदय पर इसकी छाप पड़े बिना नहीं रह सकती है। इसीलिए ऐसी चेष्टा की जा रही है कि ऐसे श्रव्य-दृश्य साधनों का जितना अधिक निर्माण किया जाए, उतना ही अच्छा है। इनके निर्माण के लिए सरकार प्रयत्नशील है।

रेडियो समाज शिक्षा का एक अच्छा माध्यम है। इसीलिए बच्चों, छात्रों, महिलाओं, गाँववालों एवं मजदूरों के कार्यक्रम में आकाशवाणी के विभिन्न केन्द्रों से प्रादेशिक भाषाओं में कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। इसके लिए भारत सरकार के सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय और राज्य सरकारों के सूचनी एवं शिक्षा विभागों की सहायता से विद्यालयों, सामुदायिक केन्द्रों, पुस्तकालयों आदि में रेडियो रखकर लक्ष्य पूरा किया जा रहा है। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में ऐसी योजना है कि प्रत्येक खण्ड के दस गाँवों में रेडियो-सेट उपलब्ध कराया जाए।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा

सत्य

सिनेमा श्रव्य-दृश्य शिक्षा का बड़ा ही शक्तिशाली माध्यम है। आजकल शिक्षा में इसका अधिकाधिक प्रयोग किया जा रहा है। गाँववालों का इससे मनोरंजन तो होता ही है, साथ ही साथ शिक्षा भी मिलती है। विकास कार्यों के लिए प्रेरणा भी मिलती है। इसीलिए सिनेमा के माध्यम से शिक्षा देने की ओर भी अधिक ध्यान दिया जा रहा है। भारतीय चल-चित्र विभाग दूसरी योजना के प्रचारार्थ विशेष फिल्म बना रहा है। समाचार और विकास-सम्बन्धी चित्र भी बनाए जा रहे हैं। चल-चित्र प्रदर्शनी के लिए सभी राज्य सरकारों को गाड़ियाँ मिली हुई हैं जो प्रचार और शिक्षा विभाग द्वारा चित्रों का प्रदर्शन करती हैं। सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के अन्तर्गत इसका प्रदर्शन गाँव-गाँव में बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। केन्द्रीय शिक्षा मन्त्रालय ने एक चल-चित्र संगठन बनाया है। अधिकांश राज्य-सरकारें भी अपने-अपने राज्यों में चलचित्र संस्थाओं की स्थापना करने जा रही हैं। नक्शे और पोस्टर भी दिनोंदिन महत्ता प्राप्त कर रहे हैं। विभिन्न विषयों पर इनके माध्यम से प्रदर्शनियाँ भी हो रही हैं।

समाज शिक्षा का कार्य बड़ा महत्वपूर्ण है। इसके लिए विशिष्ट योग्यता एवं प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इस विषय के लिए प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। बिना प्रशिक्षण के समाज शिक्षा संगठन अच्छे कार्यकर्त्ता नहीं बन सकते। फलस्वरूप दूसरी योजना में निम्न प्रकार से प्रशिक्षण के लिए वर्गीकरण किया गया है—

(क) समाज शिक्षा संगठकों के लिए ५ मास के प्रशिक्षण की अवधि नियत की गई है। यह प्रशिक्षण भारत के ६ समाज शिक्षा संगठक प्रशिक्षण केन्द्रों में कहीं भी प्राप्त किया जा सकता है। ये प्रशिक्षण केन्द्र नीलोखेड़ी (पंजाब), इलाहाबाद, बड़ौदा, उदयपुर, हिमायत-सागर, गान्धी ग्राम - श्री निकेतन, बेलूर-मठ (पं० बंगाल) एवं कोल्हापुर में हैं। इनके अतिरिक्त उन समाज संगठकों के लिए, जो आदिवासी क्षेत्रों में कार्य करते हैं, विशिष्ट प्रशिक्षण देने का प्रबन्ध राँची (बिहार) में है। दूसरी योजना में ८ हजार समाज शिक्षा संगठकों को प्रशिक्षण प्राप्त करना है। इसके लिए आठ नए प्रशिक्षण केन्द्र खोले जाएँगे।

(ख) शिक्षकों के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रमों की आवश्यकता है ताकि वे गाँववालों में पढ़ने की ओर दिलचस्पी पैदा कर सकें। साधारणतया सभी राज्य सरकारें इसके संगठन के लिए संक्षिप्त पाठ्य-टीका तैयार कर रही हैं। एक ऐसी भी योजना है कि फोर्ड-फाउण्डेशन (अमेरिका) के सहयोग से ४२ हजार शिक्षकों को दूसरी योजना में प्रशिक्षित किया जाए।

(ग) ऊपर कहा जा चुका है कि 'साक्षर-कार्यशाला' (लिटरेसी वर्कशाप) में प्रौढ़ साहित्य लिखने के लिए प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रत्येक कार्यशाला में हर मास २५ अच्छे लेखकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। योजना अवधि में प्रति वर्ष चार ऐसी कार्यशालाओं का निर्माण किया जाएगा।

(घ) दूसरी योजना में 'स्थानीय नेताओं' के लिए जनता कालेजों की स्थापना की जाएगी। साथ ही साथ जनता कालेज समाज शिक्षा के लिए प्रयोगशाला का भी कार्य करेंगे। हाल ही में जनता कालेज के संगठनार्थ एवं कार्य-कलापों के बारे में विचार-विमर्श के लिए एक गोष्ठी हुई थी, जिसमें ये आशा की गई थी कि जनता कालेज निम्नलिखित बातों पर ध्यान देंगे—

(१) प्रशिक्षार्थियों में स्वस्थ सामाजिक दृष्टिकोण पैदा करना,

(२) ग्रामीण समुदाय में सांस्कृतिक उत्तरदायित्वों का पालन करने की प्रेरणा देना,

(३) आर्थिक एवं सामाजिक कार्यों की असमानता दूर करने के लिए सामाजिक-संगठनों को मजबूत करना,

(४) किसी भी कार्य को करते समय नैतिकता एवं मानव समाज की अधिकाधिक भलाई का ध्यान रखना,

(५) भारतीय जनता के बीच साधारण-ज्ञान का प्रकाश फैलाना,

(ङ) स्थानीय ग्राम-नेताओं के प्रशिक्षण के लिए खण्ड क्षेत्रों में समाज शिक्षा संगठक के नेतृत्व में शिविर आयोजित किया जाता है, जिसमें ग्राम नेता थोड़ी अवधि में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं।

(च) समाज शिक्षा संगठकों के लिए कार्यकाल अवधि में भी प्रशिक्षण देने के लिए केन्द्रीय एवं राज्य सरकारों की ओर से बराबर गोष्ठियों का आयोजन किया जाता है। कुछ बाहरी संस्थाएँ भी इस प्रकार की गोष्ठियाँ किया करती हैं। प्रौढ़ शिक्षा संघ नामक गैर-सरकारी संस्था की ओर से की गई गोष्ठियों से श्रव्य-दृश्य शिक्षा को काफ़ी लाभ हुआ है। सरकार सोच रही है कि समाज शिक्षा संगठक की पुनः विशिष्टता प्राप्ति के लिए प्रत्यास्मरण पाठ्यक्रम का प्रबन्ध के प्रत्येक समाज शिक्षा संगठक प्रशिक्षण केन्द्रों में ही किया जाए।

(छ) एक 'राष्ट्रीय सामाजिक शिक्षा केन्द्र' की स्थापना दिल्ली में की गई है जिसमें जिला समाज शिक्षा संगठक और जनता कालेज के प्राध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाता है। यूनेस्को इस केन्द्र को सहयोग एवं सहायता प्रदान कर रहा है।

सामुदायिक विकास-कार्यक्रम में समाज शिक्षा

अब तक यह सिद्ध हो चुका है कि समाज शिक्षा का अधिकांश कार्य सामुदायिक विकास-कार्यक्रम के द्वारा ही किया जा रहा है। वास्तव में दूसरी योजना में १५ करोड़ रुपए समाज शिक्षा के मद में खर्च करने के लिए रखे गए हैं। इनमें से १० करोड़ रुपए सामुदायिक विकास मन्त्रालय द्वारा ही खर्च किए जाएँगे। प्रत्येक खण्ड में एक पुरुष एवं एक महिला समाज शिक्षा संगठक कार्य करते हैं। प्रत्येक खण्ड में सौ गाँव होते हैं, जिनकी जनसंख्या ६० हजार तक होती है। प्रत्येक खण्ड में तीन साल में २५ हजार रुपए समाज शिक्षा पर खर्च किए जाते हैं। हरेक खण्ड में समाज शिक्षा कार्यक्रम का ब्योरा इस प्रकार है—

(१) २५ प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र,

(२) ११ गाँवों में पुस्तकालयों की स्थापना एवं २० चलते-फिरते पुस्तकालय,

(३) सुसंगठित सांस्कृतिक एवं मनोरंजक कार्यक्रम,

(४) प्रत्येक गाँव में भजन मण्डली,

(५) प्रति वर्ष खण्ड के प्रमुख स्थानों पर दो या तीन मेलों का आयोजन करना,

(६) १० गाँवों में कल्याण-समिति का संगठन,

(७) १० गाँवों में खेल-कूद के मैदान का स्थायी प्रबन्ध करना,

(८) युवक-कल्याण समिति का निर्माण,

(९) प्रत्येक गाँव में ग्राम रक्षा दल का संगठन करना,

(१०) १० गाँवों में महिला कल्याण समिति का निर्माण,

(११) १० गाँवों में शिशु-कल्याण समिति की स्थापना एवं बाल-क्लब का संगठन,

(१२) प्रत्येक गाँव के तीन ग्राम-नेताओं को प्रशिक्षित करना,

(१३) १० गाँवों में सामुदायिक रेडियो-सेट का होना,

(१४) प्रत्येक मास में १० गाँवों में चल-चित्र का प्रदर्शन,

(१५) एक आदर्श-सामुदायिक केन्द्र एवं दस साधारण सामुदायिक केन्द्र तथा प्रत्येक गाँव में गान्धी-चबूतरे का निर्माण,

(१६) एक सूचना-केन्द्र की स्थापना, और

(१७) सभी विद्यालयों में समाज शिक्षा सम्बन्धी विषयों पर ज़ोर देना एवं बालकों की सफाई, चरित्र एवं नैतिकता की वृद्धि के लिए शिक्षकों की समय-समय पर गोष्ठी बुलाना।

उपसंहार

पहली योजना में समाज शिक्षा द्वारा कई महत्त्वपूर्ण कार्य किए गए हैं और दूसरी योजना में भी किए जाएँगे, फिर भी समाज शिक्षा की तीन तरह की आलोचनाएँ आज भी होती हैं।

पहली तो यह कि समाज शिक्षा का अर्थ अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया है। इस आलोचना में कुछ सचाई है ही चूंकि समाज शिक्षा एक नूतन शब्द है। इसलिए उचित तो यही है कि अभी यह देखा जाए कि विशेषज्ञों की राय में इसकी उचित परिभाषा क्या हो सकती है।

दूसरे, समाज शिक्षा संगठन के कार्य को श्रद्धा एवं सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता है। व्यावहारिक तौर पर इसे मान्यता भी नहीं दी जा रही है। ऐसा प्रायः इसलिए होता है कि कुछ संगठक अपने पद की महत्ता को नहीं समझते। इसमें प्रशासन सम्बन्धी दोष भी रहते हैं। इसके अतिरिक्त समाज

[शेष पृष्ठ १० पर]

सम्पन्न गाँव

ठाकुर राजबहादुर सिंह

महात्मा गान्धी कहा करते थे कि भारत गाँवों का देश है। विभाजन के पहले देश में लगभग ७ लाख गाँव थे, जो अब ५,५०,०८१ रह गए हैं। देश की समूची आबादी का लगभग ८० प्रतिशत इन गाँवों में ही रहता है। इसलिए गाँवों की गरीबी देश की गरीबी है और उनकी सम्पन्नता ही देश की समृद्धि है।

गाँवों की संख्या इतनी होते हुए भी सारे देश में ५ प्रतिशत गाँव भी ऐसे नहीं हैं जिन्हें सच्चे अर्थों में सम्पन्न कहा जा सके क्योंकि गाँवों की वास्तविक सम्पन्नता यही नहीं है कि गाँववाले भी शहरवालों की तरह तड़क-भड़क से रहने लगें और वहाँ भी कल-कारखाने खुल जाएँ। वास्तविक सम्पन्नता तो इस बात में है कि गाँववालों की गरीबी और कर्ज़दारी दूर हो जाए, वे बेकार न रहें और अपने खाने-पीने के लिए अनाज, साग-सब्जी, फल-फूल आदि उपजा लें, पहनने के कपड़े खुद तैयार करने के लिए कपास पैदा कर लें, सूत कात लें, और अपनी नित्य की आवश्यकताओं के लिए छोटी-मोटी चीजें या तो अपने ही गाँवों में बना लें या आसपास के बड़े ग्राम-केन्द्र से बनवा लें। इससे अपनी आवश्यकताओं की अन्य चीज़ें भी गाँववाले बनाने लगेंगे और इस प्रकार स्वावलम्बी बन कर गाँववाले नगर निवासियों द्वारा शोषित नहीं होंगे और अपने पैरों पर खड़े होना सीख जाएँगे।

गाँववालों के पिछड़ेपन को देख कर ही हमारी सरकार का ध्यान उनकी ओर सबसे पहले गया है और उसने ग्राम-सुधार के लिए अनेक योजनाएँ बनाई हैं। वैसे तो ये योजनाएँ व्यापक राष्ट्र-निर्माण योजना का ही अंग हैं पर वर्तमान सरकार जनता द्वारा निर्वाचित है और उसने गाँववालों के कल्याण के लक्ष्य को सब से पहले अपने सामने रखा है, इसलिए उसने गाँववालों की भलाई को सब से पहला स्थान दिया है।

पहली पंचवर्षीय योजना

इस काम के लिए सब से पहले हमारी सरकार ने मार्च १९५० में योजना आयोग नियुक्त किया था कि वह देश को समृद्ध और सम्पन्न बनाने के लिए योजनाएँ सुझाए। इस आयोग ने देश की आवश्यकताओं और साधनों को ध्यान में रखते हुए अनेक सिफारिशें कीं। इस आयोग की सिफारिशों पर मार्च १९५१ में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई जो मार्च १९५६ में समाप्त हुई है। यह योजना राष्ट्र-निर्माण का सबसे बड़ा और मुख्य काम है, और इसके आरम्भ होने से देश में नई आशा की लहर दौड़ गई है। लोगों में उत्साह फैल गया है और ग्रामीण क्षेत्रों की बेकारी कुछ हद तक दूर हुई है। इस योजना के अन्तर्गत कितने ही निर्माण-कार्य शुरू हो चुके हैं, और मार्च १९५६ में पहली पंचवर्षीय योजना के समाप्त होने तक इनमें से अधिकतर पूरे हो गए हैं। कई नए विकास कार्य दूसरी पंचवर्षीय योजना में शुरू किए जा सकेंगे। इन सब में बाँध और सिंचाई योजना का कार्य सबसे बड़ा और महत्वपूर्ण है तथा इसके लिए सबसे अधिक धन खर्च करना पड़ रहा है। इसकी पूर्ति हो जाने पर सिंचाई से देश की उपज बढ़ेगी और कम से कम खाद्यान्नों के बारे में हम आत्म-निर्भर बन सकेंगे। धन की जो राशि दूसरी पंचवर्षीय योजना में खर्च करने के लिए निर्धारित की गई है उसमें से सिंचाई की १९५ योजनाओं पर ३७६ करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे और इसके फलस्वरूप जहाँ पहली योजना में ६,७०,००,००० एकड़ भूमि की सिंचाई की व्यवस्था थी, वहाँ दूसरी योजना के अन्त तक ८,८०,००,०००एकड़ भूमि की सिंचाई होने लगेगी। खाद्यान्न का उत्पादन १९५५-५६ में जहाँ ६,५०,००,००० टन था, वहाँ १९६०-६१ में ७,५०,००,००० टन हो जाएगा। भारत-अमरीकी समझौतों के अनुसार, गाँवों में २,२८३ नलकूपों का निर्माण पहली पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत सिंचाई के लिए हो चुका है। २,०४३ नलकूप राज्य सरकारों ने बनवाए हैं। दूसरी पंचवर्षीय योजना में ६०० मुख्य ग्रामों में २० करोड़ रुपयों की लागत से ३,५८७ नल कूप और बन जाएँगे। इस योजना का परिणाम यह होगा कि पहली पंचवर्षीय योजना की अपेक्षा देश में खाद्यान्न की उपज १४ प्रतिशत बढ़ जाएगी और तेलहन, गन्ना, रुई, पटसन, लाख, तम्बाकू, काजू, चाय, काफी और रबड़ आदि की पैदावार बढ़ जाने के कारण इनके निर्यात से हमारे देश को विदेशी मुद्रा भी अधिक मिल सकेगी। कृषि-अनुसन्धान पर इस बार १४.१५ करोड़ रुपए खर्च किए जाएँगे जिससे अनाज की पैदावार बढ़ जाएगी और हमें आए दिन जिस प्रकार खाद्यान्न की कमी का भय बना रहता है, उसका सामना नहीं करना पड़ेगा। इस तरह मानव-जीवन की पहली महत्वपूर्ण आवश्यकता पूरी करने में हम सफल हो जाएँगे।

इसी प्रकार जहाँ पहली पंचवर्षीय योजना में खेती-सुधार पर २४० करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था थी, वहाँ दूसरी पंचवर्षीय योजना में ३४१ करोड़ रुपए खर्च करने का इन्तज़ाम कर

लिया गया है, और सामुदायिक योजना तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर जहाँ पहले ६० करोड़ रुपए खर्च करने की व्यवस्था थी, वहाँ अब २०० करोड़ रुपए खर्च करने का प्रबन्ध है।

ग्राम-पंचायतों की संख्या पहले १,१८,००० थी। १९६०-६१ तक यह संख्या बढ़कर २ लाख हो जाएगी, और इन पर ११ करोड़ रुपए खर्च करने का प्रबन्ध भी कर लिया गया है।

सामुदायिक विकास-योजना और राष्ट्रीय विस्तार योजना ने १९५५-५६ तक ६२२ खण्डों में काम किया है जो अब समाप्ति पर है। १९६०-६१ तक ११२० खण्डों में यह काम फैल जाएगा।

इन योजनाओं के अतिरिक्त पहली पंचवर्षीय योजना में अ० भा० खादी और ग्रामोद्योग मण्डल, दस्तकारी मण्डल और लघु उद्योग मण्डल ने अपनी-अपनी बहूद्देशीय योजनाएँ गाँवों में शुरू की हैं जिससे गाँवों के बेकार और अर्धबेकार लोगों को काम दिए गए हैं और इस प्रकार उन्हें अतिरिक्त आमदनी का सहारा मिल गया है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इन मण्डलों के द्वारा शुरू किया गया काम आगे बढ़ाया जाएगा जिससे गाँवों को काफी लाभ होगा और वे आर्थिक दृष्टि से अधिक सम्पन्न और आत्म-निर्भर बनेंगे।

पहली पंचवर्षीय योजना के कार्यान्वित होने पर और ऊपर बताए गए ग्राम-हित के उद्योगों के फलस्वरूप देश की राष्ट्रीय आय में ७॥ प्रतिशत की वृद्धि हुई है, परन्तु ऐसी आशा की जाती है कि अगले पाँच वर्षों में यह वृद्धि १५ प्रतिशत तक पहुँच जाएगी जिससे देश की प्रति व्यक्ति वार्षिक आय औसतन २८१ रुपए से बढ़कर ३३१ रुपए हो जाएगी।

इन सभी योजनाओं में खेती सम्बन्धी कार्यों तथा सामुदायिक योजनाओं को प्राथमिकता दी गई है। वन-विभाग पर सरकार पहली पंचवर्षीय योजना में ९.६ करोड़ रुपए खर्च कर चुकी है और दूसरी योजना में २७ करोड़ रुपए खर्च करने का इरादा रखती है। इससे भी गाँववालों का विशेष हित होगा क्योंकि वन-विभाग में गाँवों के लोगों को ही अधिक रोज़गार मिलता है।

पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी कार्यों से देश के देहाती क्षेत्रों में जो उत्साह फैल गया है, उससे वहाँ के लोग काफी लाभ उठा रहे हैं। उन्हें इन की बदौलत न केवल रोज़गार और आर्थिक लाभ मिल रहा है, बल्कि उनमें एक प्रकार की बौद्धिक स्फूर्ति भी आ रही है और वे श्रम का गौरव समझने लगे हैं। अनेक जगह गाँव-वालों ने श्रमदान से कुएँ, तालाब और छोटी-मोटी सड़कें तक बना ली हैं और धीरे-धीरे गाँवों का रूप बदलता जा रहा है। इसमें सन्देह नहीं कि पहली योजना में काम नया था और अनुभव तथा निष्ठा के अभाव के कारण हमने कुछेक भूलें भी की हैं जिनसे कहीं-कहीं उतना काम नहीं हो पाया जितने की आशा हम लगाए बैठे थे। परन्तु ऐसी भूलों और गलतियों से हमने बहुत कुछ सीखा है। इसलिए आशा है कि आगे ऐसी भूलें नहीं होंगी और जब ये सभी योजनाएँ अगले पाँच वर्षों में काफी आगे बढ़ जाएँगी तो इनका ढाँचा निखर कर हमारे सामने आ जाएगा। वह दिन लाने के लिए देश के प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि वह चाहे गाँव में रहे या शहर में, पूरे उत्साह से देश का उत्पादन बढ़ाने में सहयोग दे। हर समझदार व्यक्ति का कर्त्तव्य है कि वह अपने आस-पास के लोगों को समझाए कि देश में चलनेवाली इन निर्माण-योजनाओं में उन्हें भी हाथ बँटाना चाहिए। जो लोग निर्माण-कार्य से सीधा सम्बन्ध नहीं रखते, वे व्यक्तिगत रूप में श्रमदान-आन्दोलन को प्रोत्साहन दे कर अपने गाँवों में सार्वजनिक कुएँ, तालाब, सड़कें आदि बनवाने का प्रयत्न करें और छोटे-मोटे तथा ऐसे उद्योग-धन्धों द्वारा यन्त्र और बिजली की अपेक्षा लोगों के सजीव हाथ ज्यादा तादाद में लगें, प्रोत्साहन दें, और इस प्रकार गैर-सरकारी तौर पर भी देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करके गाँवों, जिसका मतलब है कि देश, को सम्पन्न बनाने में सहायक हों।

इस भावना और उत्साह से निर्माण-कार्य में हाथ डालने पर अगले दशक में हमारे गाँव पूर्णतः नहीं, तो सामान्यतः सम्पन्न बन जाएँगे और भारत एक बार फिर समृद्ध बन कर अपने खोए हुए गौरव को प्राप्त कर सकेगा।

[आकाशवाणी, बम्बई के सौजन्य]

★

गाँववालों को अपने पैरों पर खड़ा होना चाहिए। यही सच्चा स्वराज्य है। गाँव में ग्रामशक्ति है। इसी से वहाँ पैसे का निर्माण होता है। गाँव की जरूरत की सारी चीजें गाँव में पैदा हो सकती हैं। गाँव में कपड़ा बन सकता है, मकान बन सकते हैं। जो थोड़ी-सी मदद बाहर से चाहिए, वह भी मिल सकती है। इस तरह बहुत सारा काम गाँव की अपनी शक्ति से होना चाहिए। हम खाते हैं तो खुद अपने हाथों से खाते हैं, दूसरों के हाथों से नहीं खा सकते। खाया हुआ अपनी ही पचनेन्द्रियों से पचाते हैं, हमारा भोजन दूसरा कोई नहीं पचा सकता। गाँव की खुद की ताकत जब बढ़ेगी, तभी गाँव में स्वराज्य आएगा।

—विनोबा भावे

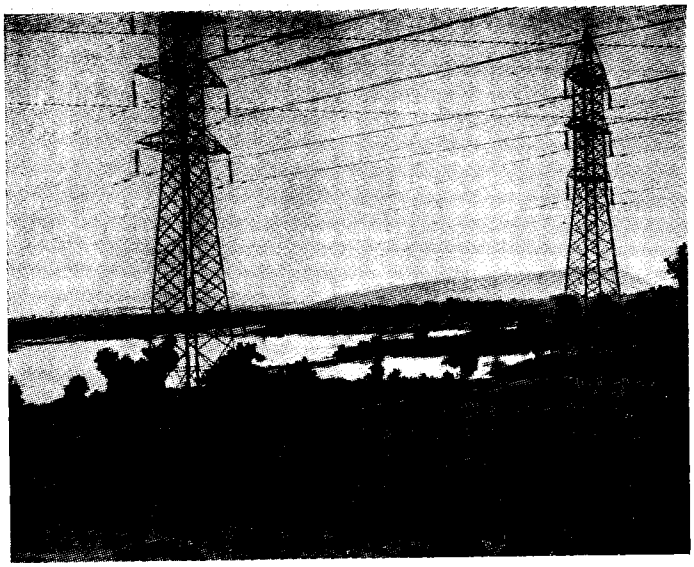

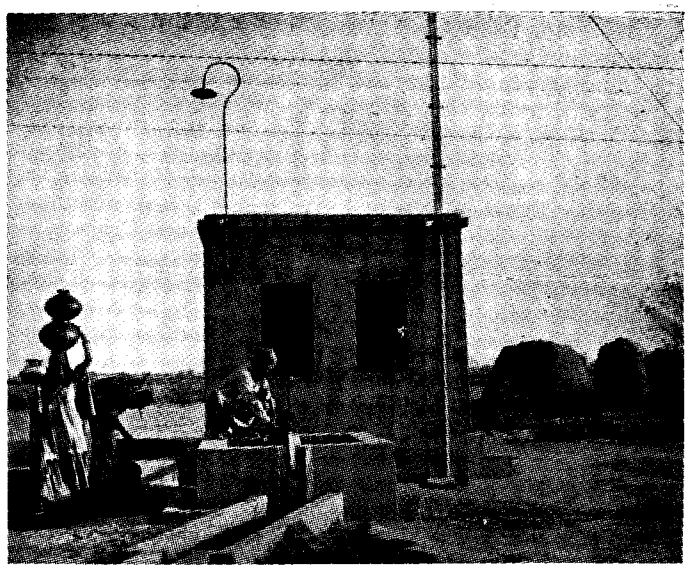

पहली पंचवर्षीय योजना की समाप्ति तक ७००० गाँवों में बिजली पहुँच चुकी थी जिससे न केवल गाँव आलोकित हो जाएँगे बल्कि सिंचाई की सुविधाएँ बढ़ जाएँगी, और कई नए लघु उद्योग खुल जाएँगे

भारत के गाँवों में बिजली

ए० पी० सीतापति

पहली पंचवर्षीय योजना शुरू होने से पहले हमारे देश में कुल ३,००० गाँवों में बिजली थी। योजना समाप्त होने तक ७,००० गाँवों में बिजली लग चुकी थी।

दूसरी पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत बिजली लगाने के विस्तृत कार्यक्रम के लिए ४२७ करोड़ रुपए की व्यवस्था है। इसमें से ७५ करोड़ रुपए केवल गाँवों में बिजली लगाने के लिए हैं। इससे १०,००० गाँवों को लाभ होगा। पहली योजना के आरम्भ में जितने गाँवों में बिजली थी, उससे यह संख्या डेढ़ गुने से भी अधिक है। बिजली लगाने के काम में बचत की दृष्टि से बिजली घरों के डिजाइनों का खर्च कम किया जाएगा और उनमें एकरूपता लाई जाएगी। इसके अलावा देशी सामान का उपयोग करके भी रुपए बचाए जाएँगे। बचत की रकम से कार्यक्रम में शामिल किए गए गाँवों के अलावा और बिजली लगाई जा सकेगी। इतना करने पर भी १९६१ तक देश के कुल ३ प्रतिशत गाँवों में ही बिजली लगाना सम्भव हो सकेगा।

गाँवों में बिजली लगाने में अनेक कठिनाइयाँ हैं। बिजली लगाने पर जो पूंजी खर्च होती है, उस पर कई वर्षों तक न तो सूद मिल पाता है, और न अन्य खर्च ही वसूल हो पाते हैं। दो हजार या उससे कम आबादीवाले गाँवों में तो यह काम और भी कठिन है। सन्तोष की बात है कि गाँवों के लोग बिजली की उपयोगिता समझने लगे हैं। जब गाँवों में बिजली पहुँच जाएगी तो वे अवश्य ही उससे लाभ उठाएँगे।

दूसरी योजना के अन्तर्गत अनेक सरकारी विभागों ने भी बड़ी-बड़ी योजनाएँ बनाई हैं। इन योजनाओं से भी गाँवों में बिजली पहुँचाने में सहायता मिलेगी।

उद्योगों के लिए बिजली

गाँवों में बिजली का उपयोग अधिकतर खेतों में पानी के पम्प लगाने और धान, गेहूँ, कपास, तिलहन, गन्ना, चाय तथा कहवा की सफाई आदि के लिए होता है। आलू, मछली, माँस और फलों को खराब होने से रोकने के लिए ठण्डे गोदाम बनाने के लिए भी बिजली की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा, कहीं-कहीं इमारती लकड़ी के कारखानों में भी बिजली से काम होता है। रुई या ऊन धुनने तथा बुनने, बटन और कलम बनाने, निवाड़ बुनने, मिट्टी के बर्तन बनाने, सिलाई, खिलौने तथा

दूसरी योजना में बिजली लगाने का कार्यक्रम

जनसंख्या		गाँव जहाँ बिजली लग चुकी है	गाँव जहाँ मार्च १९६१ तक बिजली लगाई जाएगी
	१,००,००० से अधिक	७३	७३
५०,००० से	१,००,००० तक	१११	१११
२०,००० से	५०,००० तक	४०१	४०१
१०,००० से	२०,००० तक	८५६	८५६
५,००० से	१०,००० तक	३,१०१	२,६५९
२,००० से	५,००० तक	२०,५०८	
१,००० से	२,००० तक	५१,७६९	
५०० से	१,००० तक	१,०४,२६८	१३,९००
० से	५०० तक	३,८०,०२०	
कुल		५,६१,१०७	१८,०००

छोटे औजार बनाने आदि में भी बिजली लाभदायक हो सकेगी। ५,००० गाँव ऐसे हैं, जहाँ बिजली सिर्फ नलकूपों और मशीनें चलाने के काम आती है।

गाँवों में बिजली लगाने के लिए सहायता

आजकल चीजों के भावों को देखते हुए अनुमान है कि एक गाँव में बिजली लगाने के लिए औसतन साठ या सत्तर हजार रुपए खर्च होंगे। आमतौर पर सभी यह मानते हैं कि गाँवों में बिजली लगाने की योजना को आरम्भ में आर्थिक सहायता देना जरूरी है। यह सभी जानते हैं कि गाँवों में लोग धीरे-धीरे बिजली लगा लेंगे।

कीमतों की वर्तमान स्थिति देखते हुए देश के सारे गाँवों में बिजली लगाने का खर्च लगभग ३,००० करोड़ रुपए होगा। यदि मान लिया जाए कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना में पिछली योजना से दुगुने गाँवों में बिजली लगाने की व्यवस्था की जाएगी, तब भी सारे बड़े गाँवों में बिजली लगाने के लिए छः और पंचवर्षीय योजनाओं की जरूरत पड़ेगी।

['भगीरथ' के सौजन्य से]

★

दूसरी पंचवर्षीय योजना में समाज शिक्षा—[पृष्ठ ६ का शेषांश]

शिक्षा को महत्व देने योग्य सुसंगठित प्रशासन का अभाव एवं अन्य विभागीय अधिकारियों एवं कर्मचारियों में सहृदयता की कमी है।

तीसरी बात यह है कि समाज शिक्षा का अपना कोई निजी विभाग नहीं है। न इसके अलग-अलग विशेषज्ञ ही हैं। इसकी नीति निर्धारित करने वाला विशेषज्ञ भी कोई नहीं है।

जब तक प्रत्येक जिले में और प्रत्येक सब-डिवीजन स्तर पर समाज शिक्षा संगठक न होंगे, तब तक उनका कार्य सुचारु रूप से नहीं चल सकता है। यदि इनका पुनर्गठन देश की प्रगति की नब्ज पहचान कर किया गया तो यह अवश्यम्भावी है कि इससे देश, राष्ट्र एवं समाज का कल्याण होगा तथा देश, राष्ट्र और समाज की प्रगति का दूसरा अध्याय नए ढंग और नए रूप से शुरू होगा।

सहकारी कृषि

राष्ट्रीय विकास परिषद् की स्थायी समिति ने सहकारी कृषि के विकास के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है। किसानों को बेदखली से बचाने के उद्देश्य से राज्य सरकारों को पग उठाना चाहिए, यह मत भी समिति ने व्यक्त किया है। जहाँ तक बेदखली रोकने के लिए पग उठाने का सवाल है, राज्य सरकारों के सामने कुछ कठिनाइयाँ हो सकती हैं, लेकिन उसे हल करने को कोई अनिच्छुक नहीं; लेकिन सहकारी कृषि को प्रतिष्ठित करना केवल कानून बना देने से व्यावहारिक नहीं।

संसार के किसी भी भाग में ऐसे उदाहरण कम ही मिलते हैं कि किसानों ने जमीन पर व्यक्तिगत स्वामित्व का परित्याग स्वेच्छा से किया हो एवं अपने खेतों को मिला कर सहकारी कृषि के लिए रास्ता साफ कर दिया हो। श्री नेहरू की इस इच्छा की कि "किसी किसान को व्यक्तिगत स्वामित्व त्यागने के लिए विवश नहीं किया जाना चाहिए," पूर्ति किस प्रकार हो, यह बड़ा प्रश्न है। उनकी यह राय भी है कि "प्रत्येक किसान को अपना खेत अलग करने की छूट होनी चाहिए।" इससे अधिकारियों के इरादों के प्रति किसानों के मन की शंका एक हद तक दूर हो सकती है, लेकिन किसी योजना के अस्त-व्यस्त हो जाने की आशंका भी सदा बनी ही रहेगी।

शायद किसानों की व्यक्तिगत स्वामित्व छोड़ने की अनिच्छा के भय से ही श्री नेहरू भूदान अथवा ग्रामदान में मिली या खेती के योग्य बनाई गई पड़ती जमीनों में सहकारी कृषि प्रारम्भ करने पर बल देते हैं। हो सकता है, इस तरह के प्रारम्भिक प्रयोग के सफल होने पर बाद में कुछ किसानों को प्रोत्साहन मिले, लेकिन उनकी संख्या कम ही रहेगी।

यदि खेतों को एकत्र कर बड़े-बड़े 'फारम' कायम करने के स्थान पर कृषि के क्षेत्र में सहकारिता का प्रयोग एक सीमा के भीतर किया जाए, तो सफलता की अधिक सम्भावना होगी। कृषि को आधुनिक स्तर पर लाने के लिए जो कार्य अल्प साधनवाले किसान नहीं कर सकते, उन्हें इस सीमा के भीतर रखा जा सकता है। इससे किसानों को व्यक्तिगत स्वामित्व के आनन्द से वंचित न होना होगा एवं उन्हें एक बड़ी सीमा तक सहकारिता के लाभ भी मिलेंगे। इन लाभों से ज्यों-ज्यों उनके जीवन में अच्छा परिवर्तन होगा, त्यों-त्यों सहकारिता के अधिकाधिक विकास की सम्भावनाएँ भी बढ़ती जाएँगी।

आचार्य विनोबा ने भूदान एवं ग्रामदान का जो आन्दोलन चलाया है, वह भू-सम्पत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने वाला है लेकिन समाज की हालत सुधारने के लिए भू-सम्पत्ति के वितरण की विषमता को दूर करने के साथ ही उत्पादन की क्षमता बढ़ाने के अभियान की भी जरूरत है। इसके लिए उसी प्रकार अभियान चलाना होगा, जिस प्रकार स्वाधीनता संग्राम के लिए सर्वस्व त्यागियों की सेना बनाने के लिए चलाना पड़ता है। गाँव-गाँव में उत्पादन वृद्धि के लिए साधनों को एकत्र करने के लिए अनुकूल वातावरण बनाया जाना चाहिए। यह काम कोई कानून बना देने से नहीं होगा। इसके लिए प्रत्येक गाँव में कर्मठ सेवकों को तैयार करना होगा, जो अपने व्यवहार द्वारा वातावरण बनाएँ।

"मैक्सिको, इसरायल, इटली, अमेरिका, ब्रिटेन एवं जर्मनी में सहकारी कृषि के परिणाम ऐसे नहीं हुए जिनसे उत्साह बढ़े," जर्मनी के स्टटगर्ट-विश्वविद्यालय के एक कृषि-अर्थशास्त्री डाक्टर शिलर ने कुछ दिनों पहले कहा था। फिर भी भारत को निराश होने की जरूरत नहीं। आवश्यक यह है कि यहाँ प्रत्येक पग सावधानी से उठाया जाए।

नवभारत टाइम्स (दिल्ली)
१७-६-५७

★

कृषि-सहकारिता का अभियान

हमें इस समाचार से प्रसन्नता है कि हमारी भारत सरकार का ध्यान अब सहकारी कृषि की ओर गया है। हमारे देश के किसान अनेक प्रकार से अभावग्रस्त हैं। वे न तो स्वयं समस्त साधनों की व्यवस्था कर सकते हैं और न सरकार ही प्रत्येक किसान को सहायता के रूप में पर्याप्त साधन दे सकती है। ऐसी स्थिति में सामूहिक तथा सहकारी पद्धति से ही व्यापक अभाव का मुकाबला किया जा सकता है। इस आवश्यकता की ओर पहले ही सरकार को पर्याप्त ध्यान देना चाहिए था। यदि ऐसा किया गया होता तो शायद लघु-सिंचाई योजना तथा अन्य मदों में जो रुपयों की भारी बर्बादी हुई, वह नहीं होती और उस रकम का सदुपयोग कर कृषि को बहुत लाभप्रद बनाना सम्भव होता। इधर राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थायी समिति ने इस पर ध्यान दिया है और एक पंचसूत्री योजना भी बनाई है। हम अनुरोध करेंगे कि किसानों

को ही आगे बढ़ा कर इस कार्यक्रम को सफल बनाने का यत्न किया जाए।

हमारे देश में सहकारिता की ओर लोगों में आकर्षण की जो कमी है, उसके कई कारण हैं। परन्तु जनता को दोष देने से पहले सरकार को ज़रा अपनी त्रुटियों पर भी ध्यान देना चाहिए। (१) पहली सरकारी त्रुटि तो यह है उसने सहकारिता का समुचित प्रचार नहीं किया। और (२) दूसरी बड़ी त्रुटि यह है कि सरकार ने इस आन्दोलन का समुचित संचालन नहीं किया जिससे वह जनता पर यथेष्ट प्रभाव डाल सके। उल्टे उसकी गतिविधि से जनता पर अनुकूल नहीं बल्कि प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। जो लोग इस आन्दोलन की ओर झुके भी, वे क्रमशः अलग होने लगे। सरकार को अपनी इन त्रुटियों से सबक लेना तथा लाभ उठाने के लिए इन्हें दूर करना चाहिए। जब तक ये त्रुटियाँ रहेंगी, तब तक सहकारिता आन्दोलन इस देश में सफल नहीं हो सकता।

इसी प्रकार कुछ त्रुटियाँ हमारी जनता में भी हैं और उनको स्वीकार भी करना चाहिए। हमारी जनता अपना मनोविज्ञान सहकारिता के अनुकूल नहीं बनाती है और स्वामित्व की भावना से भी वह सदा अभिभूत रहती है। किसी भी नई चीज़ को वह सन्देह की दृष्टि से देखती है। परन्तु इसका कारण है व्यापक अशिक्षा। यही कारण है कि गाँवों में सहकारिता का प्रवेश प्रायः न हो पाया है। और जिस चीज़ का प्रवेश गाँवों में न हो उसके बारे में कहना चाहिए कि उसका प्रवेश भारत में नहीं हो सका है क्योंकि भारत गाँवों में ही बसा हुआ है और उनसे ही बना हुआ है।

गाँवों में जो सहकारिता समितियाँ कायम की जाती हैं, उनका १०) रु० का हिस्सा भी प्रायः किसान नहीं लेते। इसके दो कारण हैं—(१) एक तो बहुत-से किसान इस स्थिति में नहीं होते और दूसरे (२) वे सहकारिता के लाभों के बारे में कोई जानकारी नहीं रखते। यदि उन्हें लाभ की जानकारी कराई जाए तो वे थोड़ा कष्ट उठा कर भी कम से कम एक हिस्सा लेने का यत्न अवश्य ही करेंगे।

कृषि में सहकारिता कायम करने के लिए यह भी आवश्यक है कि न केवल भूमि पर उनका स्वामित्व कायम रहे बल्कि उनकी स्वेच्छागत स्वतन्त्रता भी सुरक्षित रहे। वे जिन कामों को सामूहिक ढंग से करना चाहें, उन्हें, सामूहिक ढंग से करें और जिन्हें व्यक्तिगत ढंग से करना चाहें, उन्हें व्यक्तिगत ढंग से करने की स्वतन्त्रता रहे। कृषि-सहकारिता के अभियान में इसका ध्यान सदा रखना चाहिए। जहाँ तक चकबन्दी का सवाल है, अवश्य ही ज़मीन की चकबन्दी करने का प्रयास होना चाहिए। परन्तु जहाँ इसकी सम्भावना न हो वहाँ भी घबराना नहीं चाहिए। कार्यक्रम को स्थगित न कर साहसपूर्वक आगे बढ़ते जाना चाहिए।

नवराष्ट्र (पटना)
१८-६-५७

★

सहकारी खेती

राष्ट्रीय विकास परिषद् में नेहरू जी ने सहकारी खेती का नारा पुनः बुलन्द किया। परिषद् ने भी उनके नारे का समर्थन कर दिया। अब प्रयोग के तौर पर कुछ स्थानों पर सहकारी परिषदें स्थापित होंगी। सरकार उन परिषदों को प्रचुर सहायता देगी जिसके फलस्वरूप खेती अच्छी होगी और उसके आधार पर सहकारी खेती का समर्थन हो जाएगा, पर क्या यह सच्चा समर्थन हुआ? इसी प्रकार अनेक सरकारी बातों का समर्थन मिथ्या आधार पर किया जाता है। जहाँ तक सहकारी खेती का प्रश्न है, उससे अपने देश का लाभ नहीं हो सकता। सहकारी खेती वहीं सफल हो सकती है जहाँ खेत कम हों तथा व्यक्तियों की प्रवृत्ति समूहवाद की ओर अधिक हो। सामूहिक स्वामित्व का सिद्धान्त हमारे देश ने कभी स्वीकार नहीं किया। व्यक्तिगत स्वामित्व का सिद्धान्त यहाँ सर्वदा मान्य रहा। व्यक्तिगत स्वामित्व का तात्पर्य आधुनिक पूंजीवादी विचार धारा से न लेना चाहिए। अपने देश की जितनी भी मान्यताएँ हैं, उनकी अपनी विशेषता है। उनका समन्वय या तुलनात्मक विवेचन पश्चिम के सिद्धान्तों से नहीं हो सकता। भारत की समस्याएँ भारतीय तौर-तरीके से सुलझ सकती हैं, पाश्चात्य तौर-तरीके से नहीं। यह तथ्य सिद्ध हो चुका है क्योंकि विगत १० वर्षों में समस्याओं में निरन्तर वृद्धि होती रही है और समस्याओं के निराकरण कम हुए हैं। इस आधार पर जब तक भारतीय समस्याओं का समाधान न ढूँढ़ा जाएगा, तब तक इसी प्रकार की अनिश्चित स्थिति रहेगी। इस अनिश्चित स्थिति का अन्त आवश्यक है। सहकारी खेती की बात भी पश्चिम की नकल है। केवल अन्धानुकरण से उत्पादन न बढ़ेगा, उत्पादन बढ़ाने के लिए अन्य आवश्यक तरीके अपनाने पड़ेंगे। इन्हीं स्तम्भों में हम अनेक बार कह चुके हैं कि अनिश्चित स्थिति का अन्त होना ही चाहिए। सम्प्रति भूमि सुधार के सम्बन्ध में देश में बहुत-सी बातें चल रही हैं। सबसे पहले रियासतों, जमींदारी, जागीरदारी आदि का उन्मूलन कर दिया गया। यह कार्य भी एक प्रकार से भूमि सुधार कार्यक्रम के अन्तर्गत ही हुआ। इसके बाद भूमि सीमा

का निर्धारण, चकबन्दी, भूमि का पुनर्वितरण, भूदान आदि नए प्रयोग भूमि सुधार के सिलसिले में आए। आज का किसान इन्हीं सुधारों की ओर आँख लगाए अकर्मण्य हो कर बैठा हुआ है। उसे समझ में नहीं आता कि आखिर उसकी भूमि का भविष्य क्या है? उसका उस पर स्वामित्व रहेगा या नहीं? उसके उत्तराधिकारियों का भविष्य क्या होगा? आदि अनेक प्रश्न किसान के दिमाग में चक्कर काटा करते हैं जबकि इन सारे कार्यों का कथित उद्देश्य किसानों की स्थिति का सुधार करना है। इस अनिश्चित स्थिति का उत्तरदायित्व आखिर किस पर है? भारतीय समाज में आमूलचूल परिवर्तन लाने से क्या कोई विशेष लाभ होगा? हम अपने नेताओं से यही कहना चाहेंगे कि वे ऐसा कुछ न करें जिससे भारतीय समाज छिन्न-भिन्न हो जाए और आगे आनेवाली पीढ़ी आज के नेताओं को कोसे। सहकारी खेती इन सुधारों में सबसे अधिक खतरनाक सिद्ध हो सकती है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री डाक्टर श्री सम्पूर्णानन्द जी भी सहकारी खेती के विरोधी हैं। कृषि सुधार के लिए एक सर्वदलीय आयोग बनाया जाना चाहिए जिसके सदस्य ऐसे हों जिनका मस्तिष्क पश्चिमी न हो कर भारतीय हो अन्यथा उन्हें पूर्व के स्थान पर पश्चिम ही दिखलाई पड़ेगा। इतने से भी समस्या का हल सम्भव नहीं है, क्योंकि वर्तमान सरकार का रवैया तो कुछ और ही है। सरकार का तो उद्देश्य है कि किसी न किसी प्रकार से भारतीय समाज का ढाँचा बदल जाए। जब तक इस उद्देश्य में परिवर्तन न होगा तब तक इसी प्रकार के अनेकों कार्य होते रहेंगे। आवश्यकता इस बात की है कि सरकार अपने उद्देश्य को स्पष्ट कर दे तब देखे कि उसे समर्थन मिलता है या नहीं। यदि उसे समर्थन मिलता है तो वह चाहे जो करे पर इस प्रकार से राष्ट्र की पीठ में छुरा भोंकना उचित नहीं। भारतीय समाज की परम्परा अत्यन्त प्राचीन परम्परा है उसे सहसा बदलना कठिन ही नहीं, असम्भव है। सरकार पहाड़ से अपना माथा बार-बार टकरा रही है। इससे तो अन्त में उसका ही अहित होगा। हमारा तो यही अनुरोध है कि सरकार को अपना रवैया बदलना ही चाहिए।

सन्मार्ग वाराणसी
१८-९-५७

★

सामुदायिक संवाद

सामुदायिक विकास योजना के प्रारम्भ में जो गोष्ठियाँ होती थीं, उनमें मुख्य रूप से प्रशासन और संगठन की समस्याओं पर विचार किया जाता था। उन गोष्ठियों में भाग लेनेवाले अधिकांश प्रतिनिधि भी प्रशासनिक अधिकारी होते थे।

अब आम लोगों ने सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों को समझना और उनमें रुचि लेना शुरू किया है। इसलिए अब जो गोष्ठियाँ होती हैं, उनमें कृषि, उद्योग, स्वास्थ्य, समाज शिक्षा आदि विषयों पर विचार किया जाता है। विभिन्न श्रेणियों के विकास कर्मचारी इन गोष्ठियों में भाग लेते हैं।

अप्रैल, १९५७ में मसूरी में विकास-आयुक्तों का जो सम्मेलन हुआ था, वह अपने ढंग का अन्तिम था, क्योंकि अब जो सम्मेलन होंगे, उनमें केन्द्रीय सरकार के विभिन्न मन्त्रालयों तथा राज्यों के प्रतिनिधियों के अलावा केन्द्र तथा राज्यों के राष्ट्रीय निर्माण से सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे।

इस वर्ष अक्तूबर से जो अन्तर्राज्यीय गोष्ठियाँ आयोजित की जाएँगी, उनमें सम्बद्ध केन्द्रीय मन्त्रालयों के प्रतिनिधि, विकास-आयुक्त, राज्यों के विकास कर्मचारी तथा ज़िलों और सामुदायिक विकास खण्डों के कर्मचारी भाग लेंगे। श्रीनगर में जो गोष्ठी होगी, उसमें कृषि, पशुपालन, सिंचाई और कृषि-सहकार समितियों के सम्बन्ध में; कोयमुत्तूर में ग्रामोद्योग, गाँवों की आवास-व्यवस्था तथा उद्योग-सहकार के सम्बन्ध में, औरंगाबाद में पंचायतों तथा सार्वजनिक स्वास्थ्य के सम्बन्ध में और ग्वालियर में समाज शिक्षा तथा औरतों-बच्चों के कल्याण की योजनाओं पर विचार किया जाएगा। जिन-जिन राज्यों में ये गोष्ठियाँ होंगी, उन्हें केन्द्र सहायता देगा।

विभिन्न राज्य अपने-अपने यहाँ भी गोष्ठियों का आयोजन करेंगे। इनमें डिवीजनों के कमिश्नर, हर डिवीजन का एक-एक कलक्टर, सम्बद्ध विभाग के सचिव, गवेषणा-संस्थाओं, प्रशिक्षण-केन्द्रों तथा समाज-सेवी संगठनों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। विकास आयुक्त तथा उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को भी गोष्ठियों में बुलाया जाएगा।

६ से १० ज़िलों तक के डिवीजन में भी इस प्रकार की गोष्ठियाँ होंगी। इनमें सम्बद्ध जिला-अधिकारी, जिलों के कलक्टर, ग्राम सेवक तथा खण्ड-विकास अधिकारी भाग लेंगे।

इन गोष्ठियों में जो सिफारिशें की जाएँगी, उन्हीं के आधार पर बड़ी गोष्ठियों में विचार किया जाएगा।

२ अक्तूबर १९५७

१५ अगस्त १९४७! आज़ादी की लहर में हम बह-से गए। जब जोश कुछ थमा तो हमने अपने को कुछ भौचक्का-सा, कुछ सम्मोहित-सा पाया। हमने देखा कि अपनी सरकार का होना हमारी महान् यात्रा का पहला कदम ही है, उसकी समाप्ति नहीं। हमारा लक्ष्य आज़ादी है। इन्सान ही इसका वारिस है। आज़ादी हासिल करने के लिए सभी को मेहनत करनी पड़ती है। आज़ादी का दायरा हमें हमेशा बढ़ाते रहना पड़ता है और सदैव उसकी रक्षा करनी पड़ती है।

हमारे इरादे अच्छे थे पर हम काम में बहुत पीछे थे। हम बापू की कसम खाते थे, पर उनका दिल उन लोगों के लिए तड़प रहा था जिनके पास न रोशनी थी न हवा। हमने प्रार्थना की, ध्यान से सोचा और विचारा।

पुराने विचार को हमने एक नए साँचे में ढाला। हमने उसे सामुदायिक विकास कह कर पुकारा। हमने जनता के साथ मिल कर रूढ़ियों को तोड़ने की चेष्टा की। मुसीबतों के बावजूद हम सफर को निकल पड़े। हम हँसते गए, गाते गए, कभी-कभी रोए-चिल्लाए भी।

हमारी महान् यात्रा, एक सरकारी कार्यक्रम के रूप में शुरू हुई और अब एक आन्दोलन का रूप ले रही है। हमें रास्ते में ठोकर लगी, हम साँस लेने के लिए रुके, हम फिर खड़े हुए और फिर चल पड़े। कई जगह हम अटके, कई बार हम असफल हुए। आगे भी कई रुकावटें खड़ी हैं। पर किस आन्दोलन में रुकावटें नहीं आतीं? हमने इन सब रुकावटों को पार करते हुए आगे बढ़ने का दृढ़ निश्चय किया। हम आगे बढ़ेंगे ही।

हमारा सन्देश फैला। हमारे कार्यकर्त्ताओं की सेना का विस्तार हुआ। हम अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुँचे—पर आगे और बड़े लक्ष्य हमारे सामने हैं। हर जगह हमें दुख-दर्द के मारे लोग मिलते हैं। उनके सामने एक नहीं, अनेक कठिनाइयाँ हैं। हमें उन सब को गले लगाना चाहिए। हम सब संसार-चक्र के अंग हैं; इसलिए स्थान और समय से हम बँधे नहीं रह सकते; हमें इन सब की बातें कहनी हैं और उनके लिए काम करना है।

२ अक्तूबर १९५२ को बापू के जन्म दिवस पर सामुदायिक विकास का जिस छोटे से सोते के रूप में जन्म हुआ था, उसने आज तेज़ी से बहते हुए विशाल झरने का रूप धारण कर लिया है। जहाज अब समुद्र में चल निकला है। किनारा दूर रह गया है। जहाँ तक आँखें देख सकती हैं, जहाँ तक दिमाग सोच सकता है, सामने पानी ही पानी नज़र आता है। शंख फिर बज रहा है। पाँचवीं बार इसकी आवाज़ सुनाई दे रही है। पाँच साल गुज़र चुके हैं जो इन्सान के जीवन में सहज बचपन का समय होता है। दो हजार साल तक अफीम के नशे में पड़े रहने के बाद हम जागे हैं, और उसे देखते हुए तो यह कुछ भी नहीं है।

अब सचेत हो कर हमें कमर कस लेनी चाहिए। हम अपने अन्य साथी मल्लाहों को देखते हैं। समुद्र का पानी बार-बार जहाज से टकराता है। पर वे फुसफुसाते हैं—"डर की कोई बात नहीं, सामने नई दुनिया है, भगवान हमारे साथ है।"

—एक किसान पुत्र

धरती का लाल

1+1=2
2+1=3
3+1=4
4+1=5

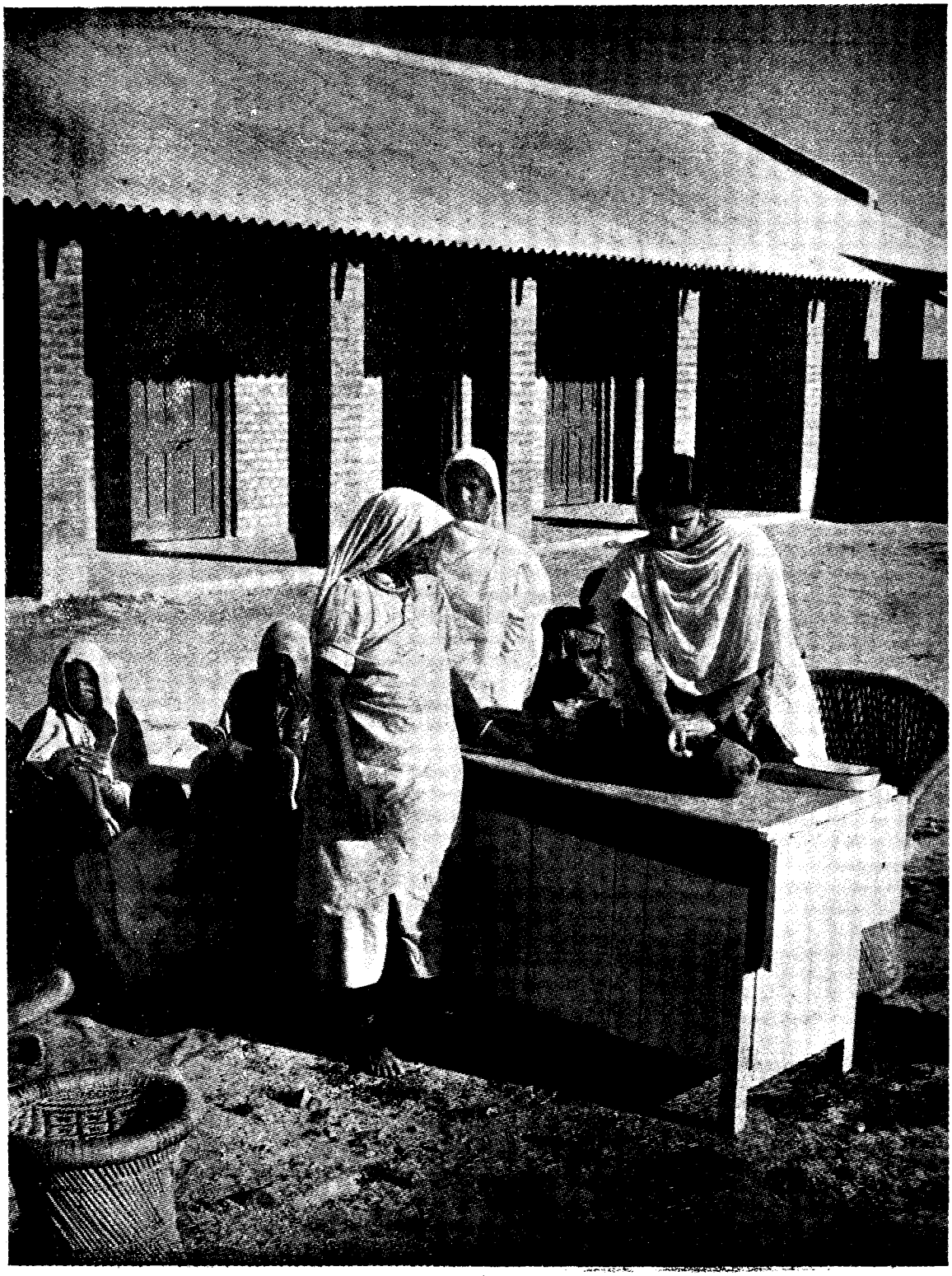

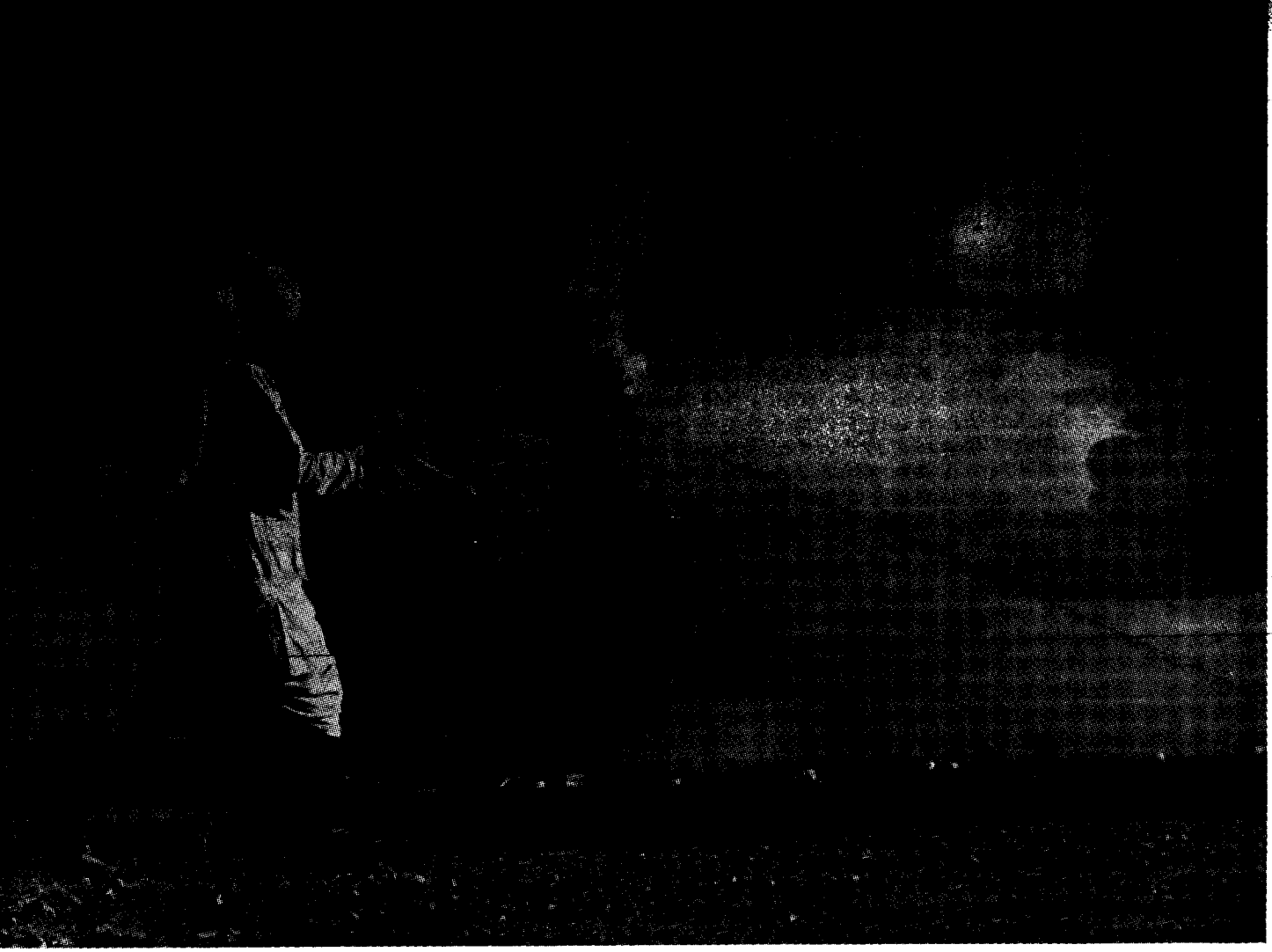

बटाहा !

बी० डी० ओ० साहब की खिदमत में—

प्यारे दोस्त,

आज से पाँच साल पहले कोई भी इस बात पर यकीन न करता कि हमारे देहाती भाइयों को जगाना सम्भव है, सरकारी मशीनरी की सहायता से गाँवों का विकास-कार्यक्रम मुमकिन है और फिर इस कार्यक्रम को जनता और जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग मिलेगा। तिस पर भी एक करिश्मा हो गया है। अस्सी अफसरों को केवल एक महीने तक प्रशिक्षण मिला, जो आज के हिसाब से नहीं के ही बराबर है। वे अपने मिशन के पीछे दीवाने हो कर जुट गए। उन्होंने लोगों पर इतना अच्छा असर डाला कि सब कठिनाइयों के बावजूद सारे देश में इस कार्यक्रम को लागू करने का फैसला करना पड़ा। तब से अब तक सैकड़ों खण्ड विकास अधिकारी (बी० डी० ओ०) बन गए हैं। इनमें से काफी लोगों ने बहुत ही शानदार काम किया है। उन्होंने जनता का दृष्टिकोण बदलने की कोशिश की और इस प्रक्रिया में खुद उनका दृष्टिकोण भी बदला।

पर बदकिस्मती से, पिछले कुछ दिनों से इस कार्यक्रम में एक नया विचार घर करता जा रहा है। अब उद्यम और सेवा भाव से काम करनेवाले व्यक्तियों की जगह एक ऐसा तबका उभर रहा है जो शायद नासमझी में पीछे की ओर हट रहा है। मुझे मालूम है कि यह तबका भारत में ही है। इस तबके में हमारे अपने ही भाई-बन्द हैं जो बिना किसी निर्देश के, बिना सोचे-समझे, इस कार्यक्रम में काम कर रहे हैं। आप में से जो लोग इस तबके के हैं. उनको लिखने के बारे में मैं कई महीने से सोच रहा था। मेरी समझ में नहीं आया कि आपको किस तरह समझाऊँ। हम आपको अनेक किताबें, पत्र-पत्रिकाएँ आदि भेजते हैं ताकि ये आप के दिल तक पहुँचें और आप इनसे कुछ नई बातें सीखें। पर मैं अक्सर देखता हूँ कि ये आप के यहाँ या तो ताले में बन्द पड़ी रहती हैं या उन पर धूल की मोटी तह जम जाती है। आपको तो शायद यह भी पता नहीं कि इस बारे में कोई साहित्य प्रकाशित भी होता है या नहीं।

मुझे ठीक-ठीक मालूम नहीं कि आप **'ग्राम सेवक'** या **'कुरुक्षेत्र'** पढ़ते हैं या नहीं। पर मुझे इस बात का यकीन है कि ग्राम सेवक इस पत्रिका को अपना समझते हैं। आपकी समझ में तो ग्राम सेवक एक अदना-सा आदमी है जिस पर आप हुक्म चला सकते हैं, पर मेरे विचार में वही एक ऐसा आदमी है जो दरअसल इस कार्यक्रम को गम्भीरतापूर्वक लेता है। जो बढ़ता हुआ काम उसके हाथ में है, उसे पूरा करने योग्य बनने के लिए उसे अधिकाधिक सीख लेना चाहिए। इसलिए देर-सबेर यह चिट्ठी उसकी निगाह में आएगी ही। यदि यह चिट्ठी आपने न देखी तो मुझे आशा है कि आपके खण्ड के ग्राम सेवकों में से कोई ज़रूर इस चिट्ठी की ओर आपका ध्यान आकर्षित करेगा।

अगर मैंने इस माध्यम से आपको सम्बोधित करने का फैसला किया, तो इसका कारण यही है कि मैं आपके बारे में बहुत चिन्तित हूँ। मैं अपने कार्यक्रम के बारे में चिन्तित नहीं हूँ क्योंकि वह तो समय की आवश्यकता के अनुरूप बनाया गया है। हमारे देहाती भाइयों की ओर सदियों से कोई ध्यान नहीं दिया गया। अब तो उनकी अपनी सरकार है जिसे निश्चय ही अगर चाहें तो वे बना सकते हैं और चाहें तो हटा सकते हैं। इसलिए देर-सबेर वे अपनी माँगे मनवाएँगे और इस देश को जो कुछ सुख-समृद्धि प्राप्त है, उसमें से अपना हिस्सा

माँगेंगे। यदि आपका बर्ताव उनसे अच्छा होगा तो हम इस प्रक्रिया को सरल बना सकेंगे। गाँववालों से आप का बुरा बर्ताव इस प्रक्रिया को कुछ समय के लिए टाल तो सकता है, लेकिन वह दिन आएगा ज़रूर, कोई मानवीय शक्ति उसे नहीं रोक सकती।

आपको याद होगा कि अंग्रेज़ी राज के ज़माने में हमारे यहाँ ५५० देशी रियासतें थीं। ये भारतीय राजे-महाराजे अंग्रेज़ों की ताकत के बल पर ही मौज उड़ाते थे। जनता के प्रति वे अपना कोई कर्त्तव्य नहीं समझते थे। जब १५ अगस्त, १९४७ को अंग्रेज़ भारत छोड़ गए, तो जिस स्तम्भ के सहारे वे खड़े थे वह गिर पड़ा, और उनके खड़े होने के लिए कोई सहारा न रहा। इस तरह समाप्त हुआ सदियों पुराना राजतन्त्र। हमारे राजा-महाराजा समझदार आदमी थे। उन्होंने ज़माने की बदलती हुई हवा को देखा, परिस्थिति के अनुसार अपने को बदला और रातोंरात एक स्वतन्त्र राज्य के नागरिक की तरह रहने को राज़ी हो गए। आपको यह समझना चाहिए कि आपका मुख्यमन्त्री जनता द्वारा चुने गए विधान मण्डल की राय के अनुसार काम करता है, आपका विकास आयुक्त चुनी हुई मन्त्रिपरिषद से आदेश प्राप्त करता है। आपका कलक्टर विकास आयुक्त से आदेश ग्रहण करता है और उसके मुताबिक काम करता है। कुछ ही दिनों में उसे ज़िला योजना और विकास समिति के चुने हुए सदस्यों के सहयोग से काम करना पड़ेगा। आपके लिए भी वही तरीका अपनाना पड़ेगा, इतनी जल्दी जिसकी आपको आशा भी नहीं होगी। अब सर्वोच्च सत्ता अंग्रेज़ी ताज की बजाय भारत की जनता में निहित है। इस तथ्य को भूल कर आप अपने पैर में आप ही कुल्हाड़ी मारेंगे।

हमारे नेताओं पर, जो पहले जनता में काम करते रहे हैं, आजकल विधान मण्डलों और दूसरी संस्थाओं का ही इतना बोझ है कि वे जनता में घुलमिल कर, उसके अन्दर काम कर के उसमें लोकतन्त्र की भावना नहीं जगा सकते। परन्तु उच्च स्तर पर लोकतन्त्र तभी सफल हो सकता है जब जनता में लोकतन्त्र की जड़ें गहरी जमी हों। इस कारण आज गाँवों में नेतृत्व का अभाव है। यह कोई ताज्जुब की बात नहीं कि हजारों आदमी नेता बनने के लिए तैयार होंगे। हमारे शोषित गाँवों में घोर अज्ञान का साम्राज्य है। महाजन, ज़मींदार और ऐसे अन्य बहुत से तबके गाँवों में फले-फूले हैं। कारण यह कि देश में रचनात्मक कार्य करने की कोई परम्परा नहीं है और न ऐसे कार्यों के लिए होड़ की ही इच्छा है। इसलिए आज तो जमाने की रफ्तार यह है कि नारे लगा-लगा कर और गला फाड़-फाड़ कर या जनता के विश्वास का बेजा लाभ उठा कर ही लोग नेता बनने के उत्सुक हैं।

हमारा प्रस्ताव भारत को ५,००० प्रशासकीय इकाइयों में बाँटने का था। हम उन्हें विकास खण्ड कहते हैं। हमने आपको ६०,००० से ७०,००० लोगों के विकास के लिए सरकार के मुख्य प्रतिनिधि के रूप में रखा। हम जानते थे कि आप यह काम अकेले नहीं कर सकते। इसलिए राष्ट्र के निर्माण कार्य के लिए हमने उस स्तर पर विस्तार अधिकारी रखे। ये अधिकारी आपको काम करने में सहायता पहुँचाने के लिए रखे गए थे, मानो वे आपके आँख, कान और बाजू हों। हमने विस्तार कार्यों का उचित प्रशिक्षण दे कर दस गाँवों के पीछे एक, याने कुल दस ग्राम सेवक आपकी सहायता के लिए रखे। हमें आशा थी कि आप इन कार्यकर्ताओं से मिल-जुल कर काम करेंगे और बड़े भाई की तरह उन्हें सलाह-मशविरा देते रहेंगे।

किसी लोकतन्त्री राज में जनता का कोई कार्यक्रम तब तक नहीं पनप सकता जब तक जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों की ऐसी संस्थाएँ पर्याप्त संख्या में न हों जो कार्य के अनुरूप सेवा करके विकसित हुई हों। सदियों तक निठल्ले रहने के कारण न केवल

हमारे बाजू कमजोर हो गए हैं, वरन् इससे भी बुरी बात यह है कि हमारे दिमाग की खिड़कियाँ बन्द हो गई हैं और बाहर से प्रेरणा मिले बिना कुछ कर सकने में समर्थ नहीं रहे। इसलिए इस बात की जरूरत है कि हमारे बाजुओं और दिमाग को ठीक तरह काम करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए। इसलिए हमने एक ऐसा तरीका अपनाया कि काम करके अनुभव प्राप्त करें, फिर केन्द्र उन पर विचार करे और तब ठीक-ठाक करके उन्हें कार्यकर्त्ताओं के पास वापस भेज दें और इस तरह कभी न टूटनेवाला यह सिलसिला जारी रहे। उसका परिणाम आज हम क्या देखते हैं ?

हमें यह देख कर दुख होता है कि आप उस बच्चे को कतई भूल गए हैं जिसे पालने-पोसने की जिम्मेवारी आपको सौंपी गई थी। शायद यह अनजान में ही हुआ हो। आप नेता बनने को उत्सुक हो उठे हैं, आप.....के महाराजाधिराज बड़ा-साहब बनना चाहते हैं। अज्ञान के विरुद्ध लड़ाई में ग्राम सेवकों और विस्तार अधिकारियों का सहयोग लेने की बजाय आप अपने असीमित अधिकारों द्वारा उन्हें दबाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि वे आपके हुक्म के मुताबिक चलनेवाले बरकन्दाज़ हों। क्या आप विकास की आधारभूत समस्याओं को सुलझा रहे हैं ? यदि आपने ऐसा किया होता तो हमें इसकी कुछ भनक मिल गई होती। तब हमारा भेजा हुआ साहित्य दीमकों का आहार न बनता। आप देख सकते हैं कि जनता की और खुद अपनी सेवा करने का कितना अच्छा मौका आपको मिला था। आपको हमारी आजादी की लड़ाई के शहीदों का आशीर्वाद प्राप्त था। देश के प्रधान मन्त्री से ले कर गाँव के सरपंच का हार्दिक समर्थन आपको प्राप्त है। सारे सरकारी साधन आपके हाथ में हैं। एक नए राष्ट्र की सेवा करने के लिए जिन अधिकारों की आवश्यकता होती है, वे सब आपको प्राप्त हैं। ऐसा मौका आदमी को कभी-कभी ही मिलता है। जिस उद्देश्य के लिए आपको ये सब अधिकार सौंपे गए थे, उसकी बजाय आप इनका उपयोग अपनी अधिकार लिप्सा बढ़ाने के लिए कर रहे हैं और एक नए तहसीलदारी राज की स्थापना कर रहे हैं; यदि आपके आँखें हों तो आप देख सकते हैं कि यह राज टिकनेवाला नहीं। जैसा कि मैंने ऊपर कहा, मैं आपके बारे में चिन्तित हूँ। अब आप समझ गए होंगे कि क्यों।

इतिहास आपको दुबारा यह मौका नहीं देगा, दर असल यदि आप यह मौका चूक गए, तब आपका पतन हो कर ही रहेगा। मैं आपको यह खुली चिट्ठी इसलिए लिख रहा हूँ कि आप अपनी दशा पर फिर से सोचें, पास के किसी साफ झरने में एक गोता लगाएँ, और जो काम आपको सौंपा गया था, उसे नए सिरे से करना शुरू करें। आपको यह सीखना चाहिए कि अपने कार्यकर्ताओं से साथियों जैसा बर्ताव करें, ग्रामीण संस्थाओं का विकास करें और उनमें काम करनेवाले जनता के प्रतिनिधियों को ग्राम नेताओं के रूप में तैयार करें जिनके परामर्श से आपको काम करना है। अगर आपने यह सब किया होता तो खण्ड सलाहकार समितियों का स्वरूप ही बदल जाता। आपने सहयोगियों की संख्या बढ़ाई होती और हम सच्चे मायनों में 'जनता के राज' की ओर कदम बढ़ा रहे होते।

मैं आपका भाई हूँ। मुझे आपको यह बताना चाहिए कि आप किधर जा रहे हैं। मैं आपको चेतावनी के रूप में यह चिट्ठी लिख रहा हूँ ताकि आप अपना कर्त्तव्य न भूल जाएँ। विकास मुख्यालय में खण्ड विकास अधिकारी जनता का सबसे बड़ा सेवक है। उसे जनता का स्वामी नहीं बन जाना चाहिए। मैं कामना करता हूँ कि आप 'जनता का राज' शीघ्र स्थापित करने में सफल हों।

भवदीय,
एक किसान-पुत्र

ताँगेवाला

विवेकरंजन भट्टाचार्य

अपनी सहेलियों आदि के जाने के बाद दिल्ली में पहली बार आई मेरी बहन रेणु ने उल्लासपूर्वक कहा—"आखिर हम दिल्ली आ ही गए और अब हम भारत का प्रसिद्ध लाल किला देखने जाएँगे।"

हमारे घर से लाल किला काफी दूर था। इसलिए मैं कोई सवारी ढूँढ़ने गया। जब लौट कर आया तो देखता हूँ कि रमा और शान्तनु ने एक ताँगा कर लिया है और वे उस पर बैठे हुए हैं।

"मणि देख, क्या मज़ेदार सवारी है। यह सफेद घोड़ा भी कितना सुन्दर है!"

"मणि, रमा की मर्जी ताँगे में जाने की है, इसलिए टैक्सी-वाले को वापस कर दो।" बहन ने अधिकारपूर्वक मुझसे कहा।

दरअसल मैंने भी इतना खूबसूरत ताँगेवाला पहले कभी नहीं देखा था। लम्बा और छरहरा शरीर, गोरा रंग और उस पर लखनऊ काट का अच्छा सिला कोट और नीले रंग का पाजामा खूब फब रहा था। उसकी सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि उसकी चमकदार आँखों में स्वाभिमान की झलक साफ दिखाई दे रही थी। मैंने उससे कहा—"अब दो बजे हैं। क्या अन्धेरा होने से पहले तुम हमें लाल किला, जामा मस्जिद और हुमायूँ का मकबरा दिखा सकोगे?"

"जी हाँ।"

"पैसों की फिक्र न करो, हमारे पास समय बहुत कम है। हमें ठीक-ठीक बताओ कि क्या तुम हमें ये सब स्थान दिखाओगे?"

"अगर खुदा को मंजूर हुआ तो।"

"तुम्हें इन सब जगहों का ठीक-ठीक पता है न? टेढ़े-मेढ़े रास्तों से ले जा कर हमें बिन बात परेशान तो नहीं करोगे?"

"जी नहीं, आप बिलकुल बेफिक्र रहें।"

कनाट प्लेस, थाम्पसन रोड और दरियागंज होता हुआ हमारा ताँगा लाल किले के बड़े दरवाजे पर आ कर रुका। एक मुस्लिम लड़का कहीं पास से निकल आया और ताँगेवाले के पास आ कर खड़ा हो गया। ताँगेवाले ने उससे घोड़े को खाई की ओर एल्गिन रोड की तरफ हरी घास चरने के लिए ले जाने को कहा। हमने टिकटें लीं और अन्दर घुसे। किले पर तिरंगा फहरा रहा था। अब तक ताँगेवाला चुप था पर अब उसने पहली बार मुँह खोला—"आप कलकत्ते से दिल्ली देखने आए हैं या...।"

"मैं तो दिल्ली में ही रहता हूँ पर मेरे बाकी साथी कलकत्ते से आए हैं", मैंने जवाब दिया।

दूर से ही हमें आते देख एक गाइड हमारी ओर आशा भरे नेत्रों से आने लगा। पर जैसे ही वह नज़दीक आया, तांगेवाले को देख कर ऐसे चौंका मानो किसी भूत को देख लिया हो और उल्टे पाँवों लौट गया।

यह देख कर हम सब चकित रह गए। ताँगेवाले को देख कर गाइड चकित क्यों हुआ और फिर वापस क्यों चला गया?

मैंने ताँगेवाले से पूछा—"गाइड वापस क्यों चला गया, क्या वह हमें किला नहीं दिखाएगा?"

"हुजूर, उसे यह अच्छी तरह मालूम है कि जहाँ मुहम्मद यासीन मौजूद हो, वहाँ किसी गाइड की कोई जरूरत नहीं रहती। इसलिए वह वापस चला गया। आप फ़िक्र न कीजिए। मैं आपके साथ चलूँगा और काम की सब चीजें दिखा दूँगा। आइए!"

उस समय उसके चेहरे पर एक दार्शनिक जैसी आभा झलक रही थी। अपने हाथों से संकेत करते हुए उसने कहना शुरू किया—"जिसे आज आप लाल किला कहते हैं, उसके निर्माता सम्राट शाहजहाँ ने उसका नाम उर्दू-ए-मुल्ला रखा था। गौर कीजिएगा, यह किला लाल पत्थर का बना हुआ है। मेरा ख्याल है कि मुगल इमारतों में लाल पत्थर का जो स्थान है, वह आपको मालूम होगा।"

महल के प्रवेश द्वार के एक ओर इंगित करते हुए उसने कहा—"यह नौबतखाना था। बादशाह सलामत के हुक्म से यहाँ दिन में कई बार शाही बैंड बजता था।"

हर्षातिरेक से उसकी आँखें चमकने लगीं। लगभग दौड़ कर वह एक चबूतरे के पास पहुँचा और उछल कर उस पर चढ़ गया।

"यह वह जगह है जहाँ पर नगाड़ा रखा रहता था।"

उस समय ऐसा लग रहा था मानों किसी बच्चे को बहुत समय बाद उसके मित्र मिले हों और जिन्हें वह अत्यन्त उत्साह-पूर्वक एक-एक करके अपने सभी खिलौने दिखा रहा हो।

नौबतखाना अब शान्त और चुपचाप है। ऐतिहासिक महत्व के सिवाय इसका और क्या महत्व रहा है? आज वह समृद्ध जीवन कहाँ? एक समय था जब नगाड़े की आवाज़ सारे उर्दू-ए-मुल्ला को गुंजाए रखती थी। और आज? आज तो शायद नगाड़े की आवाज़ न सुन पाने के कारण जमुना भी पीछे हट गई है। उस ऐतिहासिक नदी का मन्द प्रवाह और उस की सुमधुर कलकल ध्वनि आज कहाँ सुनाई पड़ती है। आज जमुना धीमे-धीमे बहती है मानो कोई अफसोस मना रही हो। आज जमुना की कलकल ध्वनि में नौबतखाने की आवाज अपना सुर नहीं मिलाती। आज हरम से पाजेबों की ध्वनि नहीं सुनाई पड़ती। आज वह महल सुनसान और उपेक्षित-सा पड़ा है।

वहाँ से चल कर हम एक बड़े हाल में आए जो दीवाने-आम कहलाता है। यासीन ने बताया—"यही वह जगह है जहाँ से बादशाह सलामत प्रजा को अपना दर्शन देते थे।" उसी के साथ के एक सुन्दर हाल की ओर इंगित करते हुए उसने बताया—"यह दीवाने-खास है, जहाँ ख़ास-ख़ास अमीर एकत्र होते थे। सब लोग अन्दर नहीं आ सकते थे। केवल मन्त्रियों और शहर के प्रतिष्ठित व्यक्तियों को ही अन्दर आने की इजाज़त थी। महल के अलावा इन कमरों को देखिए जिनके फव्वारे अब सूखे पड़े हैं। ये हरम की बेगमों के हमाम थे। फिर कोने के एक कमरे की ओर इशारा करते हुए उसने बताया कि यह जनाना गुसलखाना था जो खास तौर से बादशाह सलामत और उनकी मलका के लिए बनाया गया था। उस जमाने में इसमें दो फव्वारे होते थे—एक ठण्डे पानी का और एक गर्म पानी का। जनाना गुसलखाना अपनी एक बहुत बड़ी खूब विदेशी इंजीनियरों की बदौलत खो चुका है। उनको यह जानने की उत्सुकता थी कि इसका पानी अपने आप कैसे गरम हो जाता है। फव्वारा तोड़ कर उन्होंने देखा कि अन्दर पत्थर की दो सिल्लियाँ गारे से जुड़ी हुई थीं। पर लाख सिर पटकने पर भी वे उन्हें दोबारा नहीं जोड़ सके।"

हम ताँगेवाले के इतिहास के ज्ञान को देख कर चकित हो रहे थे। इस संगमरमर के सिंहासन पर, जो अब खाली पड़ा है, कभी बादशाह सलामत बैठने की इनायत फरमाया करते थे। वहाँ यासीन ने निष्ठापूर्वक तीन बार कोर्निश की। उसकी इस श्रद्धांजलि का आदर किए बिना हम न रह सके। तब वह हमें हाल के पीछे की तरफ के एक कमरे की ओर ले गया जहाँ दुनिया का एक आश्चर्य तख्ते ताऊस रखा रहता था। इसे शाहजहाँ के हुक्म से सात वर्ष में तैयार किया गया था। इसके चारों पाए ठोस सोने के बने हुए थे। सिंहासन के ऊपर एक छतरी थी जो बारह खम्भों पर टिकी हुई थी। प्रत्येक खम्भे पर मोतियों से बने मोरों का एक जोड़ा था और प्रत्येक जोड़े के बीच में हीरों के पेड़ थे। इस सिंहासन को नादिरशाह उठाकर ईरान ले गया।"

यासीन बोलता जा रहा था। उसकी आँखें, कान और चेहरा, सभी कुछ बोलते नजर आते थे। इसी सिंहासन पर बैठ कर नादिरशाह ने मुहम्मदशाह को उसकी सल्तनत वापस दी। यहीं पर गुलाम कादिर शाह ने शाह आलम को अन्धा किया। इसी जगह पर शाह आलम ने अंग्रेजी जनरल लार्ड लेक का स्वागत किया। दरबार हाल की बाईं तरफ यासीन ने हमें जूते उतारने के लिए कहा। अब हम औरंगज़ेब की बनाई मस्जिद में थे। पहले की तरह यासीन श्रद्धापूर्वक घुटनों पर झुका। लौटते समय यासीन ने हमारा ध्यान एक छोटे से कमरे की ओर दिलाया। "यह रंगमहल है। उस जमाने में इसमें एक कोने में एक चिराग जलता था और सब तरफ एक हजार चिराग नजर आते थे। अब तो यह एक आम बात हो गई है।"

रमा ने उस समय कहा—"चिराग जलने से यह कमरा कितना गन्दा हो गया है।"

यासीन ने लम्बी साँस खींचते हुए कहा—"गन्दा होने का कारण यह है कि गाइड आजकल अपना खाना यहाँ पकाते हैं। उसी के धुएँ से यह जगह इतनी खराब हो गई है।"

शाम तेजी से बढ़ी चली आ रही थी और क्योंकि अभी हमें हुमायूँ का मकबरा भी देखना था, इसलिए हम जल्दी-जल्दी बाहर आए।

रमा ने शंका प्रकट की—"मणि, मुगलकाल में बादशाह लोग खम्भे, गुम्बद और शानदार छतें बनाने में तो इतने धन और शक्ति का अपव्यय करते थे। क्या उन्हें दीवारें बनाने का समय न मिलता था। जवाब न बन पड़ने के कारण मैं कुछ खीज-सा गया। मेरा इतिहास का ज्ञान साधारण ही है। ताँगेवाले ने उसका सवाल समझ लिया। उसने शंका समाधान करते हुए कहा—

"बात यह थी कि मुगल लोग मध्य एशिया से आए थे। वहाँ वे तम्बुओं में रहने के अभ्यासी थे। भारत आने के बाद भी वे अपनी यह आदत छोड़ न सके। इसलिए उन्होंने बड़े-बड़े खम्भे बनवाए, शानदार छतें बनवाई, पर दीवारें न बनवाई। दरबार लगने के समय चारों ओर कनात और परदे लगा दिए जाते थे। आज भी दिल्ली में त्योहारों के मौके पर इस बात का असर देखा जा सकता है।"

रेणु ने कहा—"रमा, खैर तुम्हारा चुनाव बुरा नहीं था। मालूम नहीं कि कोई विश्वविद्यालय यासीन को उसके ज्ञान पर डाक्टरेट प्रदान करेगा या नहीं पर यह बात सच है कि तुम्हारा टैक्सी ड्राइवर इतनी जानकारी न दे पाता।"

और उसका यह कहना ठीक ही था।

: २ :

लाल किले से यासीन हमें जामा मस्जिद ले गया, दोनों पास पास ही हैं। यहाँ जो कुछ हुआ उससे तो हम और भी विस्मय में पड़ गए। मस्जिद में ले जानेवाली सीढ़ियों के नीचे खड़े हो कर उसने जोर से पुकारा—"सलीम!" और एक क्षण में ही फ़ैज टोपी पहने एक व्यक्ति सामने आकर खड़ा हो गया। ताँगेवाले ने उससे कहा—"ताँगे को ले जाओ।" सलीम ने जवाब दिया—"जो हुक्म।" और वह एक आज्ञाकारी सेवक की तरह ताँगे को एक तरफ ले गया ताकि पुलिस उसे अवारा ताँगे के रूप में पकड़ कर थाने न ले जाए।

मस्जिद के प्रवेश द्वार पर एक चौकीदार ने हमारे ताँगेवाले को आदरसूचक भाव से देखते हुए उसके पैरों से जूते उतार लिए और हमें एक कोना दिखाते हुए कहा—"अपने जूते वहाँ उतार कर अन्दर चले जाइए।"

रमा ने फुसफुसाते हुए कहा—"मणि, देखा, कितना प्रभावशाली व्यक्ति है। वह ताँगेवाला नहीं बल्कि कोई नवाब जैसा लगता है। जैसे ही वह यहाँ आया, घुटनों पर झुक गया और अब दुआ माँग रहा है।" मस्जिद के कोने में कम्बल बिछाए एक मौलवी बैठा हुआ था जो सुरीली आवाज़ में कुरानशरीफ़ पढ़ रहा था। जैसे ही उसने यासीन को संगमरमर के चबूतरे पर खड़ा देखा, उठ कर खड़ा हो गया, और आदरपूर्वक सलाम कर के फिर कुरान पढ़ने लगा।

यासीन वहाँ से हमारे पास आया और बोला—"इस मस्जिद को बादशाह शाहजहाँ के हुक्म से खलील ने बनाया था। यह मालूम नहीं कि इससे बड़ी मस्जिद दुनिया में और भी कहीं है। डूबते हुए सूरज की मन्द-मन्द रोशनी में यह कितनी खूबसूरत लग रही है। यह ठीक दोपहर को भी और पूर्णिमा के समय भी इतनी ही खूबसूरत लगती है।" उस समय तो मस्जिद ही नहीं बल्कि यासीन भी बहुत खूबसूरत लग रहा था।

: ३ :

अब हमारा ताँगा शहर की चौड़ी सड़कों से होता हुआ हुमायूँ के मकबरे की ओर जा रहा था। अस्त होते हुए सूर्य की लालिमा चारों ओर फैल रही थी। "हुजूर सुनिए—हुमायूँ की मर्जी थी कि उसकी कब्र एक संगमरमर के मकबरे में निजामुद्दीन चिश्ती के मज़ार के पास हो। इसीलिए उसका मकबरा शहर से दूर बनाया गया था। उस मकबरे को भारत का वैस्टमिंस्टर ऐबे कहा जा सकता है।"

दूर से ही हमें मकबरे की संगमरमर की चोटी नजर आ रही थी। थोड़ी देर में ही हम मकबरे के बाग के अन्दर थे। यासीन ने कहा—"उधर देखिए। गुम्बद पर केवल एक आधा चाँद बना हुआ है। जैसे ताज में कमल है, वैसे यहाँ नहीं है। आप जानते हैं, इसकी वजह क्या है?"

"यह मकबरा फारसी ढंग पर बना है। फिर इस पर भी तुर्की असर साफ़ नज़र आता है। यह आधा चाँद तुर्की की सल्तनत का राज्य चिन्ह था", यासीन बताता जा रहा था। ऐसा लगता था कि यासीन नहीं, बल्कि कोई प्रसिद्ध इतिहासकार व्याख्या कर रहा है।

"यह इमारत मुगल वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है। भारत में क्या, सारी दुनिया में ताज के सिवाय और कोई ऐसी इमारत नहीं जो कला की दृष्टि से इतनी लाजवाब हो। ताज को शाहजहाँ ने अपनी प्राणप्रिया की यादगार में बनवाया था जबकि हमीदाबानू ने संगमरमर की यह इमारत अपने प्यारे पति की यादगार में बनवाई थी।"

हमें यह पता ही नहीं चला कि रेणु कब ऊपर चढ़ गई। हमें तो तभी पता लगा जब हमने उसकी हर्षातिरेक भरी आवाज सुनी—"शान्तनु, देखो वह रही जामा मस्जिद। क्या यह मकबरा भी उतना ही ऊँचा है।"

यासीन के साथ हम भी छत पर पहुँच गए। उसने रेणु को उत्तर दिया—"हाँ, बहन, तुम्हारा कहना ठीक है। उधर जामा मस्जिद है और उधर बाईं ओर कुतुब मीनार।"

मकबरे के चारों तरफ छोटे-छोटे कमरों की कतारें हैं। "हुजूर, इन कमरों में मदरसा लगता था।" मेरी आँखों के सामने वह चित्र घूम गया जब वज़ीरों और अमीरों के लड़के वहाँ बैठ कर अरबी और फारसी के सबक घोटते होंगे।

उसी गुम्बद के नीचे दार्शनिक राजकुमार दाराशिकोह की कब्र है जहाँ वह चिरनिद्रा में लीन है। शाही खानदान में उससे बड़ा दार्शनिक और कोई नहीं हुआ। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद करने के इलजाम में उसके छोटे भाई औरंगजेब ने मुकदमे का ढोंग रच कर उसे फाँसी के तख्ते पर चढ़ा दिया। अगर यह उदार चित्त शहजादा गद्दी पर बैठता, तो शायद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों के महल की तरह ढह न जाता। एक छोटे से बरामदे की ओर इशारा करते हुए उसने बताया—"आखिरी मुगल बादशाह बहादुरशाह यहाँ छिपा था। गदर के दिनों में गिरफ्तारी के डर से और अपनी सल्तनत अंग्रेजों को सौंपने से पहले वह हुमायूँ से माफी माँगने यहाँ आया था। उस दिन बहादुरशाह आँसू भरी आँखों से सिसकते हुए सिर्फ इतना ही कह सका—'ओ महान् सम्राट्, मेरी गुस्ताखी माफ कर, मैं तुम्हारी सल्तनत को बचा न सका।' जैसे-जैसे यासीन यह शोक-

पूर्ण घटना बताता गया, उसके चेहरे पर आँसू ढुलकते गए—कोशिश करके भी वह अपने आँसू रोक न सका। हम में से किसी के भी मुँह से एक भी शब्द न निकला। उस समय हमारी समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या कहें।

सूरज छिप चुका था। हम इण्डिया गेट, जन्तर-मन्तर और कनाट प्लेस से गुजरते हुए अपने घर के करीब आ पहुँचे। इतने लम्बे रास्ते में किसी को बोलने का साहस न हुआ। पर मुझे पता है कि उस समय सबके मन में क्या बात थी। हम सब के मन में एक ही विचार था—'आखिर यह ताँगेवाला कौन हो सकता है? वह ताँगेवाला जिसकी जिह्वा पर मुगलकाल का इतिहास है, जिसको लाल किले के गाइड ने इतने आदरपूर्वक देखा था, जिसके पुकारने पर फैज टोपी पहने वह व्यक्ति सलीम उसके तांगे की देखभाल करने लगा, जिसके पैरों से जामा मस्जिद का चौकीदार जूते उतारता है, जिसे देख कर मस्जिद का मौलवी अपनी कुरान बन्द कर सलाम करने उठ खड़ा होता है, जो बहादुरशाह की याद कर ज़ार-ज़ार रोता है और जिसे भारत के इतिहास का इतना गूढ़ ज्ञान है।'

अब तक हमारा ताँगा वहाँ पहुँच कर रुक चुका था, जहाँ से हम उस पर बैठे थे। किसी की उससे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ताँगा खड़ा हो गया था। हम उससे उतरे और पूछा कि कितने पैसे हुए।

"हुजूर, पाँच रुपए!"

हमारा सन्देह पक्का हो गया। हमें वह कुछ सनकी-सा लगा। इतना अधिक फासला तय किया और हरेक चोज़ हमें इतनी अच्छी तरह दिखाई और उस पर हम से कुल पाँच रुपए माँग रहा है। पर लाल किले का वह गाइड, जामा मस्जिद का वह चौकीदार और जामामस्जिद का वह मौलवी। क्या सब के सब सनकी थे।

टैक्सी इससे कहीं ज्यादा लेती। मैंने पाँच-पाँच रुपए के दो नोट बढ़ाते हुए कहा—"जो तकलीफ तुमने हमारे लिए उठाई है, उसे देखते हुए यह कुछ भी नहीं और यह तुम्हारी बख्शीश है।" और इसके बाद जो कुछ हुआ, उसे मैं जन्म भर नहीं भूल सकता। वह दृश्य आज भी मेरे दिमाग में ताजा है। उसने अपनी जीभ बाहर निकाल ली, अपने दोनों कान अंगूठों से और नाक अंगुलियों से बन्द कर ली और उस समय ऐसा लगा मानो उसे मर्मान्तक पीड़ा हो रही हो—"या खुदा, मुझे माफ कर, अल्लाह रहम कर, हुजूर आपने यह क्या किया? आप यह चाबुक ले लीजिए और मुझे जी भर कर पीटिए।"

उस समय हम बिलकुल स्तब्ध खड़े थे।

वह बोलता गया—"मैंने किया ही क्या है? मैंने आपको दिल्ली में ऐतिहासिक महत्व के कुछ स्थल ही तो दिखाए हैं। ऐसी मामूली-सी चीज़ के लिए तो बख्शीश का सवाल ही नहीं उठता। आप एक हजार मील से यह मकबरा, लाल किला और जामा मस्जिद देखने आए हैं। आप से अर्ज़ करता हूँ कि ये सब यादगारें इस नाचीज़ यासीन के बुजुर्गों की हैं। अब तो सब खत्म हो गया। मुझे और ज्यादा बेइज्जत न करें। इन नसों में अब भी वही खून बहता है, उन्हीं बादशाहों का।"

★

राष्ट्र-निर्माण का महान् कार्य

सही मानो में, शान्तिपूर्ण किन्तु सच्ची क्रान्ति तो भारत के इधर-उधर छिटके और दूरस्थ गाँवों में हो रही है। आज हमारे गाँवों में नव-जागरण का तुमुल तूफान उठा है। राष्ट्रीय विस्तार सेवा एवं सामुदायिक विकास-कार्यक्रम ने ग्रामवासियों के मानसिक क्षितिज को और ज्यादा व्यापक बना दिया है। वे ग्रामीण भारत की शक्ल बदल देने में सरकार को खुद ही भरपूर सहायता और सहयोग दे रहे हैं। जैसे-जैसे राष्ट्र-निर्माण का कार्य प्रगति कर रहा है, हमारे ग्रामीण पुरानी भ्रामक धारणाओं को छोड़, नए औजारों और नए विचारों से खुद अपनी मदद करना सीख रहे हैं। वास्तव में इस वर्ग की उन्नति में ही हमारी सर्वोच्च आशा निहित है, क्योंकि आज भी भारत की तीन-चौथाई आबादी देहातों में रहती है।

—राष्ट्रपति डा० राजेन्द्रप्रसाद

विस्तार की परिभाषा

जगदीशचन्द्र श्रीवास्तव

: ७ :

विदेशों में युवकों द्वारा विस्तार कार्य

इसके पूर्व कि हम यह विचार करें कि अपने देश में युवकों का संगठन कर विस्तार कार्य किस प्रकार करें, हम कुछ दूसरे देशों में हुए विस्तार कार्यों का निरीक्षण करेंगे ताकि उनके उन्नति के कारणों तथा परिस्थितियों को समझ सकें।

१. संयुक्त राज्य अमेरिका

नवयुवकों द्वारा विस्तार कार्य के सम्बन्ध में सब से प्रमुख संस्था है—"फोर एच क्लब"। इसका परिचय चिन्ह ४ क्लोवर की पत्तियों से बना है जिस पर अंग्रेजी अक्षर 'एच' अंकित है जिनका अर्थ—'हेड' (दिमाग), 'हार्ट' (दिल), 'हैंड' (हाथ), और 'हेल्थ' (स्वास्थ्य) है। इनकी प्रतिज्ञा इस प्रकार है—

मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि अपने क्लब के लिए, जाति के लिए और देश के लिए

दिमाग से ठीक-ठीक सोचूँगा,
दिल से वफ़ादार रहूँगा,
अपने हाथों से अधिक लोगों की सेवा करूँगा,
स्वस्थ रह कर और अच्छी तरह जीवन व्यतीत करूँगा।
उनका ध्येय है "उत्तम को सर्वोत्तम बनाना।"

गाँवों में जब ये क्लब खुले तो उन्हें गाँव भर का सहयोग मिला। गाँववालों ने इनके आगे बढ़ाने में योग दिया क्योंकि एक तो वे कुछ अधिक शिक्षित थे तथा उनके सामने आर्थिक कठिनाइयाँ भी मुँह बाए नहीं खड़ी थी।

नेशनल फोर एच फाउन्डेशन

भावी किसानों में राष्ट्र निर्माण की प्रेरणा भरने के बाद उनके विभिन्न दलों को एक सूत्र में बाँध दिया गया और वही १९४९ में "नेशनल फोर एच फाउन्डेशन" बना। संयुक्त राज्य अमेरिका के अनेक लोग खेती-बाड़ी के धन्धे में लगे हुए हैं। देश के इन युवक कृषकों की बढ़ती हुई उन्नति को देख कर वे चकित हो गए। उन्होंने उनके कार्य को आगे बढ़ाने के लिए धन एकत्र किया और उसको एक संस्था का रूप दिया। इसका उद्देश्य है—"ग्रामीण युवकों का चतुर्मुखी (फोर एच) विकास करने के लक्ष्य को सम्मुख रखते हुए यह केन्द्र इसलिए स्थापित किया गया है कि लोगों में ज्ञान, चरित्र, प्रेम, आदर व मर्यादा के भाव पैदा हों।"

इन्टरनेशनल फार्म यूथ एक्सचेंज

इस संस्था का सबसे महत्वपूर्ण कार्य "अन्तर्राष्ट्रीय युवक कृषक आदान-प्रदान" है। यह संस्था प्रतिवर्ष युवक किसानों को दूसरे देशों में भेज कर वहाँ कृषि-शिक्षा प्राप्त करने में धन की सहायता करती है। १९४९ में इस संस्था को अन्तर्राष्ट्रीय रूप दिया गया। इस संस्था से केवल उसी देश के युवकों को ही नहीं, बल्कि दूसरे देशों के युवकों को भी आर्थिक सहायता मिलती है। ये युवक अमेरिका जा कर किसी किसान परिवार के साथ रहते हैं और वहीं रह कर कृषि का व्यावहारिक ज्ञान प्राप्त करते हैं।

इस प्रकार एक ग्रामीण संगठन एक अन्तर्राष्ट्रीय संगठन बन गया जिसका मुख्य कारण यह है कि यह संगठन गाँवों में स्वतः आरम्भ हो कर धीरे-धीरे आगे बढ़ा—ऊपर से लादा नहीं गया।

स्वयंसेवक नेता

अब इन युवकों के सामने भविष्य का कार्यक्रम रखने के लिए प्रेरणा तथा मार्ग प्रदर्शन की आवश्यकता पड़ी। इसका भार वहाँ के शिक्षकों तथा सदस्यों के अभिभावकों ने अपने ऊपर लिया। सेवा की भावना से प्रेरित हो कर वे देश के युवकों के लिए सहर्ष अपना समय देते हैं। इन स्वयंसेवक नेताओं के अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में एक सरकारी कर्मचारी की व्यवस्था भी है जो "फोर एच एजेण्ट" कहलाता है। युवतियों के कार्य में सहायता देने के लिए एक "काउण्टी होम डिमांस्ट्रेशन एजेण्ट" अर्थात् "गृहशास्त्र क्षेत्रीय कार्यकर्त्ता" भी होती है।

क्षेत्रीय स्तर पर उनका एक "सफलता प्राप्ति दिवस" मनाया जाता है जिसमें दल के सब सदस्य भाग लेते हैं और अपनी-अपनी योजना प्रदर्शित करते हैं। उसी दिन वे अपने कार्यक्रम और योजनाओं का लक्ष्य भी निर्धारित करते हैं। फिर राज्य स्तर पर एक समारोह मनाया जाता है जिसमें प्रत्येक युवक-दल से चार सदस्य भाग लेते हैं। यह समारोह वहाँ के राज्यपाल के सभापतित्व में तथा दल के राज्य स्तरीय नेता के संरक्षण में धूमधाम

से मनाया जाता है जिसमें राज्य के सब दल तथा उससे सम्बन्धित सरकारी तथा गैर-सरकारी कार्यकर्त्ता भाग लेते हैं।

विस्तार आन्दोलन का प्रसार

अमेरिका में १६५५ में युवक दलों की संख्या ८,००० थी जिनके सदस्यों की कुल संख्या—२३,००,००० थी जिनमें युवक व युवतियाँ दोनों सम्मिलित थीं। स्वयंसेवक नेताओं की संख्या २,७५,००० थी।

आज वहाँ लगभग २ करोड़ सदस्य हैं और करीब २० लाख सदस्यों की प्रति वर्ष वृद्धि होती है।

इस प्रकार के ग्रामीण युवकों द्वारा विस्तार कार्य की सूचना अन्य देशों को मिली और उन्होंने भी युवक संगठन स्थापित किए जो निम्नलिखित हैं—

१. कनाडा—१६०५
२. डेनमार्क—१६१३
३. ब्रिटेन—१६२१
४. रूस—१६२२
५. हवाई द्वीप—१६२३
६. फिनलैंड—१६२६
७. अलास्का—१६२७
८. कोरिया—१६२७
९. नार्वे-स्वीडन—१६३०
१०. हालैंड—१६३०
११. लैटिन अमेरिका—१६३४
१२. जापान—१६४८
१३. भारत—१६५४

इस प्रकार अनेक देशों में युवक संगठनों का कार्य आरम्भ हुआ। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि युवक सर्वत्र ही जागरूक हैं तथा विस्तार के प्रमुख अंग व महत्वपूर्ण साधन हैं।

२. कनाडा

कनाडा में प्रायः १६०५ से ही यह कार्य हो रहा है और केवल २० वर्षों में ही लगभग १ लाख लड़के व लड़कियाँ इन दलों में सम्मिलित हो चुके हैं। इस देश में विस्तार सेवा नाम की कोई विशेष संस्था नहीं है बल्कि दलों का संचालन कृषि तथा शिक्षा विभागों के कर्मचारियों द्वारा ही होता है।

३. ब्रिटेन

'युवक बालचर संस्था' तथा 'युवती गाइड' का बीजारोपण क्रमशः १६०८ और १६१० में लार्ड बैडन पावेल द्वारा हो गया था जिसका सिद्धान्त लड़के और लड़कियों में चरित्र तथा अच्छी नागरिकता का विकास करना है। परन्तु आधुनिक युवक संगठन की प्रेरणा "लन्दन डेली मेल" नामक समाचारपत्र के प्रकाशक लार्ड लैर्थक्लिफ को १६२१ में अमेरिका के 'फोर एच क्लब' की प्रणाली को देख कर मिली। वे इस संगठन से बहुत प्रभावित हुए तथा अपने देश में लौट कर उन्होंने ग्रामीण युवकों के सम्बन्ध में एक आन्दोलन आरम्भ किया जिसके फलस्वरूप ब्रिटेन में "यंग फार्मर्स क्लब" बने।

यंग फार्मर्स क्लब

ये क्लब कृषि विस्तार के महत्वपूर्ण माध्यम सिद्ध हुए हैं। प्रत्येक दल स्वशासी हैं। इनकी सदस्यता १०-१५ वर्ष तक के लड़के व लड़कियों तक सीमित है। इनका उद्देश्य उन्नतशील कृषि व पशुपालन का विकास व विस्तार करना है।

इन्होंने भी धन एकत्र कर एक अन्तर्राष्ट्रीय युवक संस्था (नेशनल फेडरेशन आफ यंग फार्मर्स क्लब) की स्थापना की जिसको वहाँ की सरकार ने मान्यता प्रदान की हुई है। इसे सरकार से सहायता भी मिलती है।

इस संघ की स्थापना के समय दलों की संख्या १०० से भी कम थी तथा सदस्यों की संख्या लगभग डेढ़ हज़ार थी, पर आज दलों की संख्या १५८० तथा सदस्यों की संख्या लगभग ६८ हजार तक पहुँच चुकी है। यह संस्था दूसरे देशों से सम्बन्ध बनाए रखने के लिए अपने देश के किसान युवकों को विदेशों में भेजती है तथा दूसरे देशों के तरुण किसानों को ब्रिटेन आमंत्रित करती है।

४. डेनमार्क

संसार के कृषि प्रधान देशों में डेनमार्क की गणना प्रथम श्रेणी में की जाती है जिसका श्रेय वहाँ के नवयुवकों को ही है। हमारे पंचायत घर के समान उनके गाँव में भी "जिमनेजियम" होते हैं जहाँ प्रतिदिन सायंकाल तथा शनिवार को विशेष रूप से समारोह मनाया जाता है। ये युवक राष्ट्र की प्रगति के लिए विचार-विनिमय करते हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनके भिन्न-भिन्न शिविर लगते है जिसमें पर्यटन, नाट्यकला, सामूहिक खेल, लोक नृत्य, प्रवचन तथा अन्य मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रबन्ध रहता है।

युवकों को वर्ष में एक-दो शिविरों में अवश्य जाना पड़ता है जहाँ उन्हें अपने हाथ से काम, सफ़ाई, समाज सेवा, श्रमदान करने पड़ते हैं। प्रत्येक युवक अपने शिक्षाकाल में कोई न कोई उद्योग भी सीखता है जिससे शिक्षा समाप्ति के बाद वह कुछ उपार्जन कर सके। आज यह इसी का प्रभाव है कि राष्ट्र कल्याण तथा राष्ट्र की सम्पत्ति की वृद्धि के लिए प्रत्येक युवक अपने को न्यौछावर करने को तत्पर रहता है।

५. हालैंड

हालैंड में केवल २० प्रतिशत लोग कृषि कार्य में लगे हैं। फिर भी ये लोग अपने देश की खाद्य-समस्या हल कर लेते हैं। किसानों के पास औसतन २५ एकड़ भूमि होती है। १८८० से यहाँ विस्तार कार्य आरम्भ हुआ जिसमें युवकों का बड़ा हाथ है। १९३० से यहाँ युवक संगठन स्थापित हुआ और इस समय वहाँ इनकी ५ संस्थाएँ हैं। इनके सदस्यों की संख्या ५० हजार है।

इन्हीं युवकों को श्रेय है कि आज हालैंड में विश्व की सबसे अधिक दूध देने वाली गाएँ तथा सबसे अधिक अण्डे देनेवाली मुर्गियाँ पाई जाती हैं। उनका लक्ष्य है—"उत्तम को सर्वोत्तम बनाना।" युवकों को शारीरिक शिक्षा का प्रशिक्षण लेना पड़ता है। हालैंड की सब से बड़ी युवक संस्था "घुड़सवारी संस्था" है जिसके लगभग ५० हजार सदस्य हैं।

६. जापान

जापान में कृषि विस्तार सेवा का समारम्भ जुलाई १९४८ में हुआ। इसके अन्तर्गत ग्राम युवक संगठन का एक विशिष्ट स्थान है। १०-२५ वर्ष तक की आयु के युवकों और युवतियों के आज लगभग ५०,००० दल हैं, जिनकी सदस्य संख्या १० लाख हो गई है।

इसके पूर्व युवक संगठन सैनिक दृष्टि से किया जाता था; किन्तु अब यह कृषि के आधुनिक ढंगों के प्रसार के लिए कार्य करता है। दल के सदस्य उत्पादन की नवीन विधियों को सीख कर उससे अधिक से अधिक आर्थिक लाभ प्राप्त करने को उद्यत रहते हैं। ये अपने दल की बैठक जनतान्त्रिक ढंग से करते हैं। प्रत्येक सदस्य विस्तार सेवा क्षेत्र से सहायता तथा जानकारी प्राप्त करने का अधिकारी है। ग्राम सेवक दलों के संगठन में पूर्ण सहायता पहुँचाते हैं।

७. रूस

सोवियत संघ में युवक संगठन "तरुण पायनियर" के नाम से विख्यात है। प्रथम संगठन मास्को में १९२१ में स्थापित हुआ था जो शीघ्र ही युवकों में लोकप्रिय हो गया। उनकी संख्या बराबर बढ़ती गई। देश के सभी दलों को १९ मई, १९२२ को एक "तरुण पायनियर संगठन" के अन्तर्गत सूत्रबद्ध कर दिया गया। इस समय इस संगठन के १ करोड़ ८० लाख सदस्य हैं।

जब तरुण पायनियर वयस्क हो जाता है तो वह अपने से छोटों को पायनियर के कामों के प्रति उत्साहित करता है। तरुण पायनियर ने देश में १९२९ में निरक्षरता उन्मूलन तथा १९३९ में कृषि विस्तार के कामों में सराहनीय कार्य किया था। हर प्रकार के कार्यक्रमों के अतिरिक्त जिस युवक की अभिरुचि जिस ओर रहती है, उसे अपनी योग्यता और प्रतिभा का विकास करने का पूरा अवसर दिया जाता है। यह संगठन अपनी २२ पत्र-पत्रिकाएँ देश की अनेक भाषाओं में प्रकाशित करता है।

८. भारत

हमारे देश में सर्व प्रथम पंजाब के कमिश्नर श्री ब्रेल ने युवक संस्था की स्थापना की जो बाद में समाप्त हो गई। फिर मैसूर कुर्ग, पेप्सू में १९५० से कार्य आरम्भ हुआ। कुछ राज्यों में, 'युवक कृषक संघ' की स्थापना हो गई है। अखिल देशीय स्तर पर एक "भारत युवक समाज" की स्थापना १९५४ में हो गई है।

उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद के एग्रीकल्चरल इंस्टीट्यूट ने युवक संस्था का नाम "कमल दल" रखा जिसमें 'क' कर (हाथ), 'म' मन तथा 'ल' लोचन के लिए है। कमल शब्द का परम्परागत और सांस्कृतिक महत्व भी है। पेप्सू ने "नौजवान किसान" नाम अपनाया जो "यंग फार्मर्स" का शाब्दिक अनुवाद है। अन्य स्थानों में सेवा दल, नवयुवक मण्डल तथा मंगलम् आदि नाम अपनाए गए हैं।

युवकों के अन्य संगठन जो इस समय विद्यमान हैं उनमें स्काउटिंग, जूनियर रेड क्रास तथा स्थानीय युवक मण्डलियाँ हैं पर व्यावहारिक दृष्टि से इन कार्यक्रमों में बालकों के लिए कतिपय आर्थिक योजनाओं का समावेश नहीं है। दूसरे देशों ने आर्थिक योजनाओं को ही युवक संगठन की आधार शिला मान कर उन्नति की। हमारे देश में भी यह आवश्यकता अनुभव की गई कि यहाँ भी भावी किसानों तथा गाँवों में बसने वाले अन्य युवकों के लिए एक ऐसी योजना बनाई जाए जो सर्वांगीण विकास के लिए उनका पथप्रदर्शन कर सके और उनमें विस्तार कार्य तथा ग्राम जीवन के नव निर्माण के प्रति रुचि उत्पन्न कर सके।

उत्तर प्रदेश

अतः प्रश्न यह नहीं था कि ग्राम युवक संगठन के कार्यक्रम को अपनाया जाए, बल्कि यह कि कार्यक्रम किस प्रकार पूर्णतः

व्यावहारिक बनाया जाए। उत्तर प्रदेश के विकास अन्वेषणालय ने १९५४ में इस प्रयोग को लिया और ग्राम युवक संगठन के अग्रगामी प्रयोग की एक योजना बनाई जिसका श्रेय अमेरिका के विस्तार विशेषज्ञ श्री जी० ई० रोलोफ्स को है। इस दिशा में यह पहला प्रयास था। योजना में युवक समस्या के हर पहलू पर विचार कर व्यवस्थित कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। जहाँ इसी प्रकार के काम में संलग्न विदेशी संस्थाओं के अनुभव से लाभ उठाया गया, वहाँ किसी देश के तरीकों का आँख-मूद कर अनुसरण भी नहीं किया गया। अन्वेषणालय द्वारा चलाई गई योजना की कल्पना तथा उसकी कार्यविधि सर्वथा भारतीय है तथा यदि किसी विदेशी योजना अथवा विचार को अपनाया भी गया है तो उसे अपनी परिस्थितियों के अनुकूल बना कर ग्रहण किया गया है।

इस तरह युवक संगठन—"युवक मंगल दल" की योजना प्रयोग के रूप में उत्तर प्रदेश के ७ गाँवों में जुलाई, १९५४ में आरम्भ की गई थी। उस समय कुल सदस्यता १०५ थी। पर आज उत्तर प्रदेश के १४ जिलों के चुने हुए क्षेत्रों में फैल कर यह आन्दोलन बहुत व्यापक होता जा रहा है। पहली अप्रैल, १९५६ के आँकड़े बतलाते हैं कि प्रदेश के ११ जिलों में दलों की संख्या ९२ तथा उनकी कुल सदस्यता १,६०३ थी।

युवकों में नए विचार अपनाने की उत्कट अभिलाषा होती है तथा वे रूढ़िवादी नहीं होते। यही युवक इस तरुण अवस्था में प्राप्त की हुई जानकारी और दक्षता का उपयोग भविष्य में करेंगे। इस प्रकार युवक हमारे विस्तार कार्य के अच्छे माध्यम बन जाते हैं और अपने परिवारों में नया सन्देश और नए आदर्श ले जा कर वे हमारे सामूहिक जीवन में हुए परिवर्तन के अग्रदूत बन जाते हैं।

भारत में सामुदायिक विकास

२ अक्तूबर १९५७ को सामुदायिक विकास-कार्यक्रम को आरम्भ हुए पाँच वर्ष पूरे हो गए।

× × ×

१९६१ तक सारे देश में राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खुल जाएँगे। सामुदायिक विकास खण्ड देश के कुल ४० प्रतिशत हिस्से में खुलेंगे। इन दोनों कार्यक्रमों का ध्येय एक ही है किन्तु सामुदायिक विकास-कार्यक्रम राष्ट्रीय विस्तार सेवा से अधिक भरपूर है।

× × ×

२ अक्तूबर १९५२ को ५५ सामुदायिक विकास खण्ड खोले गए थे।

× × ×

३१ अगस्त, १९५७ को देशभर में कुल १५ करोड़ आबादी-वाले २,७२,७५६ गाँवों में २,१२० राष्ट्रीय विस्तार सेवा और सामुदायिक विकास खण्ड चालू थे। इनमें वे खण्ड भी शामिल हैं जहाँ भरपूर विकास के बाद का काम होता है।

× × ×

लगभग कुल ६६,००० आबादीवाले १०० गाँवों के लिए एक राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड होता है।

× × ×

एक विकास खण्ड में कुल ६,००० से ७,००० आबादीवाले १० गाँवों के लिए एक ग्राम सेवक नियुक्त किया जाता है।

★

गाँव के लोग एक हुए बिना सुखी नहीं हो सकते। इसमें हमको जरा भी शंका नहीं है। गाँव में एक पक्ष होना चाहिए—गाँव पक्ष। गाँव में एक ही धर्म होना चाहिए—ग्राम-सेवाधर्म। गाँव में एक ही भाषा होनी चाहिए—प्रेम की भाषा। गाँव में एक ही विचार होना चाहिए—सब के सहयोग का विचार। जब यह होगा तब गाँव की उन्नति होगी।

—विनोबा भावे

★

प्रगति के पथ पर

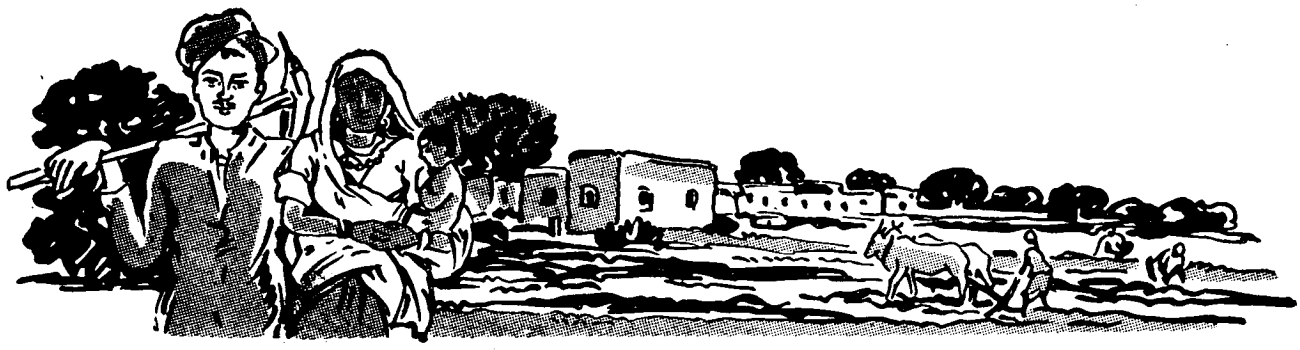

उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन

उत्तर प्रदेश में सहकारी आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष में गोदामों के निर्माण और क्रय-विक्रय की सुविधाओं के विस्तार पर अधिकाधिक बल दिया है। इस वर्ष क्रय-विक्रय की ६० समितियाँ संगठित करने और ६६ गोदामों को निर्मित करने का प्रस्ताव है। सहकारिता के आधार पर क्रय-विक्रय के सम्बन्ध में ६० निरीक्षकों को विशेष प्रशिक्षण देने का कार्यक्रम बनाया गया है। इस योजना का उद्देश्य किसानों को अपना अनाज बेचने और गोदामों में रखने के सम्बन्ध में पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करना है जिससे किसान को अपनी उपज का अच्छा मूल्य मिल सके। इस प्रकार आशा की जाती है कि सहकारी ऋण पद्धति, सहकारी खेती और अन्य सहकारी प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने में इस योजना से विशेष सहायता मिलेगी।

सन् १९५७-५८ में ४०० बड़ी ऋण समितियों को संगठित किया जाएगा और १३,५०० अन्य गाँवों में भी सहकारी समितियाँ बनाई जाएँगी। इसके अलावा ६,००,००० नए सदस्य बनाए जाएँगे तथा प्रारम्भिक ऋण समितियों के हिस्से की पूंजी में १ करोड़ ६५ लाख रुपए की अभिवृद्धि की जाएगी। प्रत्येक बड़ी ऋण समिति के पास एक गोदाम भी होगा। इस प्रकार ७०० गोदाम खोलने का प्रस्ताव है। प्रत्येक गोदाम की लागत लगभग १०,००० रुपए बैठेगी।

इस वर्ष केन्द्रीय सहकारी बैंकों की हिस्से की पूंजी में ३० लाख रुपए और राज्य सहकारी बैंक की हिस्से की पूंजी में ३२ लाख रुपए की अभिवृद्धि करने का लक्ष्य है। केन्द्रीय बैंकों में ७६,००० रुपए और राज्य सहकारी बैंक में १ करोड़ ५० लाख रुपए जमा करवाने का कार्यक्रम बनाया गया है।

अल्पकालिक ऋण के रूप में ३ करोड़ रुपए, मध्यकालिक ऋण के रूप में एक करोड़ ४५ लाख रुपए और दीर्घकालिक ऋण के रूप में २ करोड़ रुपए वितरण करने का प्रस्ताव है। दीर्घकालिक ऋणों के वितरण के लिए राज्य भूमि बन्धक बैंक संगठित किया जाएगा। किसानों को कम सूद पर रुपया देने की भी व्यवस्था की जाएगी।

इस वर्ष २०६ सहकारी कृषि समितियाँ संगठित करने का प्रस्ताव है। इस योजना का लक्ष्य है कि सहकारी आधार पर परती जमीन को कृषि योग्य बना कर तथा अन्य साधनों को जुटा कर कृषि उत्पादन बढ़ाया जाए।

मछली उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए द्वितीय योजनाकाल में पाँच फारम खोलने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसमें से एक फार्म इस वर्ष खोला जाएगा। बीज और छोटी मछलियों के पालने के लिए किराए पर नर्सरियाँ उपलब्ध की जाएँगी। पिछले वित्तीय वर्ष में ५६ नर्सरियाँ उपलब्ध की गई थीं और इस वर्ष ८५ और नर्सरियों को किराए पर लेने का विचार है। जो मछुए समुन्नत ढंग से सहकारी पद्धति पर मछली उद्योग का काम करना चाहते हैं, उनको समितियाँ बनाने के लिए सरकारी सहायता भी दी जाएगी। इस अवधि में तराई राजकीय फार्म में पाँच नए मत्स्य सरोवर खोले जाएँगे। मछलियों के विक्रय के लिए इलाहाबाद में एक 'कोल्ड स्टोरेज प्लाण्ट' लगा दिया गया है। दूसरी योजना की अवधि में महत्वपूर्ण स्थानों में ऐसे अन्य प्लाण्ट लगाने का भी प्रस्ताव है।

१९५६-५७ में राजस्थान में जंगल लगाने का कार्य

राजस्थान में रेगिस्तान का विस्तार रोकने के लिए १९५६ में तथा जून १९५७ तक जंगल लगाने की योजना के अन्तर्गत ४,६२७ एकड़ भूमि में जंगल लगाए गए या लगाने का कार्य आरम्भ किया गया। १९५६ में ८२ मील सड़कों पर जो पेड़ लगाए गए थे, उनकी देख-रेख की जा रही है और १९५७ में २६ मील लम्बी सड़कों पर पेड़ लगाए जा रहे हैं। १९५६ में ८,००० फुट के क्षेत्र में रेलवे लाइन के आसपास के बालू के टीलों को ढका गया। १९५७ में ३,००० फुट नए क्षेत्र में यह काम शुरू किया गया है। जंगल लगाने और जनता में बाँटने के लिए अधिक पौधे पैदा करने के लिए १९५६ में ११ पौधशालाएँ स्थापित की गईं। १९५७ में ६ और पौधशालाएँ स्थापित करने की सम्भावना है। इसके अतिरिक्त घास के बीज पैदा करने के लिए १९५७ में दो और पौधशालाएँ स्थापित करने का विचार है। ५,००० एकड़ परती जमीन को चरागाह बनाया जा रहा है। भारत-पाक सीमा पर लगभग ३५ वर्गमील भूमि राज्य सरकारों से ली गई है और उसे जानवरों के चरने से बचाया जा रहा है। घास और अन्य बनस्पतियों की पैदावार बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

दूसरी योजना में इन कार्यक्रमों पर ४३,२१,००० रुपए खर्च होंगे। ३० जून, १९५७ तक इसमें से १५,५८,३०० रुपए खर्च किए जा चुके हैं।

सौराष्ट्र में भूमि-संरक्षण

भारत सरकार ने १९५७-५८ में बम्बई के सौराष्ट्र क्षेत्र में भूमि-संरक्षण के तरीकों के प्रदर्शन की एक योजना स्वीकृत की है। १८०० एकड़ जमीन का सर्वेक्षण करके उसमें कटाव रोकने के लिए मेड़बंदी आदि करके लोगों को दिखाया जाएगा। इसके लिए केन्द्रीय सरकार १९५७-५८ में बम्बई सरकार को कुल ४४,७७८ रुपए की सहायता देगी। इसमें से २२,१५८ रुपए सहायता के रूप में तथा २२,६२० रुपए कर्ज के रूप में दिए जाएँगे।

पटसन के अच्छे बीज

पटसन के अच्छे बीज पैदा करने के लिए ७ फारम खोले गए हैं। इनमें से एक फारम केन्द्र ने और बाकी छः पटसन-उत्पादन क्षेत्रोंवाले राज्यों ने खोले हैं। केन्द्रीय फारम पश्चिम बंगाल में पनगढ़ (जिला बर्दवान) में है और इसका क्षेत्रफल २१२ एकड़ है। फारम कलकत्ता की भारतीय केन्द्रीय पटसन समिति ने १९५६-५७ खोला था। पश्चिम बंगाल सरकार ने दो बड़े फारम खोले, जिनके लिए भारत सरकार ने ८,११,५०० रुपए ऋण दिया। इसी तरह के एक-एक फारम उत्तर प्रदेश और असम सरकार ने भी खोले। भारत सरकार ने असम को इसके लिए १ लाख रुपए का ऋण दिया। इसके अलावा भारत सरकार ने १९५६-५७ में बिहार और उड़ीसा सरकारों को एक-एक फारम खोलने के लिए क्रमशः ४,६३,१४४ रुपए और २,६७,१९२ रुपए का ऋण दिया। उड़ीसा सरकार को फारम का और विस्तार करने के लिए १९५७-५८ में ८६,८१८ रुपए का और ऋण दिया गया।

मराठवाड़ा में नए खण्ड

राज्य पुनर्गठन के बाद, पुनर्गठित बम्बई राज्य के मराठवाड़ा क्षेत्र के पाँच ज़िलों में १२ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड और दो सामुदायिक विकास खण्ड खोले गए तथा चार राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदल दिया गया।

दूसरी पंचवर्षीय योजना में ८७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड खोलने और ३५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों को सामुदायिक विकास खण्डों में बदलने की योजना है। विस्तार खण्डों में भूमि-सुधार, सिंचाई, मकानों आदि की व्यवस्था के लिए केन्द्र ने राज्य सरकार को १२ किस्तों में ब्याज सहित लौटाने की शर्त पर कर्ज दिया और अन्य योजनाओं का ५० प्रतिशत आवर्तक और २५ प्रतिशत अनावर्तक व्यय राज्य ने स्वयं उठाया है। मई १९५७ तक मराठवाड़ा के सामुदायिक विकास खण्डों पर कुल ४४,६५,३२६ रुपए और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों पर ११,६५,८३३ रुपए खर्च किए गए।

कल्याण कार्यों में सामंजस्य लाने की योजना

केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल और सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने स्त्रियों, बच्चों तथा अशक्तों के लिए जो कल्याण सेवाएँ चलाने का निश्चय किया है, उनमें सामंजस्य लाने की एक योजना पाँच राज्यों के १७ सामुदायिक विकास खण्डों में चलाई

जा रही है। इन १७ खण्डों में केन्द्रीय समाज कल्याण मण्डल ने महिला समाज कल्याण कार्यकर्त्ताओं की अध्यक्षता में योजना परिपालन समितियाँ बनाई हैं। सेवाएँ चलाने तथा कर्मचारी नियुक्त करने के लिए भी मण्डल ने धन की व्यवस्था की है।

इनमें से ६ खण्ड मद्रास में हैं। उनके नाम हैं–चिंगलपुट, पायनाशम, अलंगुडी, कोविलपट्टी, पोलूर और कुम्भकोनम। बम्बई के ७ खण्ड ये हैं–टिएएट, सिंधेवाड़ी, धरमपुर, वणी, पंढारकोडा, खेडब्रह्म और सन्तरनपुर। इनके अलावा मध्य प्रदेश के झाबुआ तथा बड़वानी, पश्चिम बंगाल के रायगंज और असम के लुंगलेह खण्डों में यह योजना चलाई जाएगी।

११०० से अधिक सूचना केन्द्र

सामुदायिक विकास तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्डों के मुख्यालयों में इस समय १,१०० से भी अधिक सूचना तथा सामुदायिक केन्द्र हैं। विकास आयुक्तों के छठे सम्मेलन की सिफारिशों पर प० बंगाल, राजस्थान और उत्तर प्रदेश की सरकारों ने प्रत्येक खण्ड में एक-एक सूचना तथा सामुदायिक केन्द्र खोलने का निर्णय किया है। सामुदायिक विकास मन्त्रालय ने १९५५ में केन्द्रीय सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय और राज्यों के सूचना विभागों की सहायता से सूचना तथा सामुदायिक केन्द्र खोलने का कार्यक्रम बनाया था। ये केन्द्र केवल पंचवर्षीय योजनाओं और सामुदायिक विकास-कार्यक्रमों के बारे में ही सूचना देने के लिए नहीं खोले जा रहे, बल्कि ये गाँवों में विभिन्न सामुदायिक कार्यों के केन्द्र के रूप में भी काम करेंगे।

प्रत्येक राज्य में केन्द्रों के कार्य संचालन के लिए समितियाँ बनाई गई हैं, जिनमें केन्द्रीय सूचना तथा प्रसार मन्त्रालय, राज्य सरकार के विकास विभाग और सूचना विभाग के प्रतिनिधि शामिल हैं। दूसरी योजना के अन्त तक देशभर में ४,८०० सूचना केन्द्र खोलने का विचार है।

पश्चिम बंगाल के हर विकास खण्ड में सूचना केन्द्र

पश्चिम बंगाल सरकार ने राज्य के हर सामुदायिक विकास खण्ड और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खण्ड में सूचना एवं सामुदायिक केन्द्र खोलने का निश्चय किया है। राज्य में इस प्रकार के १०३ विकास खण्ड हैं।

उत्तर प्रदेश और राजस्थान की सरकारें इस प्रकार का निश्चय पहले ही कर चुकी हैं।

इन केन्द्रों को चलाने का आवर्तक व्यय पश्चिम बंगाल सरकार का प्रचार विभाग उठाएगा और अनावर्तक व्यय विकास विभाग करेगा।

१९५६-५७ में अनाज का लक्ष्य से अधिक उत्पादन

१९५६-५७ में खाद्य का उत्पादन लक्ष्य से २२ लाख ७० हजार टन अधिक हुआ है। १९५६-५७ में अनाज के उत्पादन का लक्ष्य १३ लाख ७० हजार टन और बढ़ाया गया था—१० लाख टन 'अधिक अन्न उपजाओ कार्यक्रम' के अन्तर्गत और ३ लाख ७० हजार टन बड़ी सिंचाई योजनाओं के। अनाज का वास्तविक उत्पादन लगभग ३६ लाख ४० हजार टन बढ़ा।

पहली योजना पर व्यय

पहली योजना कुल १९६० करोड़ रुपए की थी। इसके लिए ७५२ करोड़ रुपए रेलों की आय और करों से जुटाए गए। इसमें से १२० करोड़ रुपए रेलों की आय से और ६३२ करोड़ रुपए केन्द्र और राज्यों के राजस्व से प्राप्त हुए। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना पर १९६० करोड़ रुपए का व्यय और उसकी अर्थ-व्यवस्था के लिए पहली पंचवर्षीय योजना की समीक्षा में दिखाए गए साधन लगभग वही थे जो कि योजना आयोग ने आँके थे।

★

बौद्ध धर्म सम्बन्धी दो सुन्दर पुस्तकें

बौद्ध धर्म के २५०० वर्ष

इस पुस्तक में गत ढाई हज़ार वर्षों में बौद्धमत की कहानी का संक्षिप्त लेखा है।

२५५ पष्ठों की सचित्र पुस्तक का

मूल्य केवल ३·०० रु०

डाक व्यय ०·६२ नये पैसे

भारत के बौद्ध तीर्थ

भारत में बौद्ध तीर्थ व पवित्र स्थानों पर सचित्र पुस्तक। आकर्षक छपाई व सजधज।

१०८ पृष्ठों की इस सुन्दर पुस्तक का

मूल्य केवल २·०० रु०

डाक व्यय ०·७५ नये पैसे

मूल्य अग्रिम आना आवश्यक है। पोस्टल आर्डर भेजने से सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक विक्रेताओं से प्राप्य।

बिज़नेस मैनेजर,

पब्लिकेशन्स डिवीज़न,

पो० बॉ० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

योजना

गत २६ जनवरी से भारत सरकार 'योजना' नाम से हिन्दी में एक पत्रिका प्रकाशित कर रही है। इसका उद्देश्य गाँवों और शहरों, बच्चों और बूढ़ों, लड़कियों और युवतियों में भारत के नवनिर्माण का सन्देश पहुँचाना है और साथ ही जनता की आवाज़ सरकार तक पहुँचाना है। हमारी "आपकी राय" विभाग में जनता की आवाज़ गूंज रही है, भले ही वह लाल फीता और नौकरशाही के विरुद्ध जाए।

यह भारतीय उन्नति का प्रतीक है। साहित्य और आलोचना भी छपती है।

हमारे लेखकों में वृन्दावनलाल वर्मा, माखनलाल चतुर्वेदी, रांगेय राघव, नागार्जुन, सत्यकेतु विद्यालंकार, खुशवन्तसिंह, मन्मथनाथ गुप्त, सत्यदेव विद्यालंकार आदि हैं। हर अंक में बीसियों चित्र होते हैं।

आज ही ग्राहक बनिए। एक प्रति का दस नये पैसे और वार्षिक मूल्य २·५० रु०। अपने पुस्तक विक्रेता से माँगें या लिखें:—

योजना,

प ब्लि के श न्स डि वी ज़ न,

पो० बॉ० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरियट, दिल्ली-८

हमारे हिन्दी प्रकाशन

	मूल्य	डाक व्यय		मूल्य	डाक व्यय
आँसू अब मुस्कान बने	०·१०	०·०५	समाज और संस्कृति	०·५०	०·१०
राष्ट्र के संचार साधन	०·१०	०·०५	नौवाँ वर्ष	१·५०	०·३५
योजनाओं से समाजवाद की ओर	०·१०	०·०५	छठा साल	१·५०	०·३५
नई समाज-व्यवस्था की ओर	०·१०	०·०५	तीसरा साल	१·५०	०·३५
अन्न और खेती	०·१०	०·०५	हमारा झंडा	०·५०	०·१०
उद्योग-धन्धों का विस्तार	०·१०	०·०५	वैदिक साहित्य	०·३५	०·१०
तुलसीदास : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०	कबीर : एक विश्लेषण	०·३५	०·१०
सामाजिक मनोविज्ञान	०·५०	०·२०	रेडियो विकास योजना	०·३५	०·१०
हिन्दी का भावी रूप	०·३५	०·१०	प्रयाग दर्शन	०·२५	०·१०
भारत १९५६	४·५०	१·००	भारत की कहानी	०·७५	०·२०
भारत १९५४	७·५०	१·३५	एशिया अफ्रीका सम्मेलन	०·२५	०·१०
भारत की एकता का निर्माण	५·००	१·३५	आदर्श विद्यार्थी बापू	०·३५	०·१०
स्वाधीनता और उसके बाद	५·००	१·३५	यह बनारस है	०·२५	०·१०
शान्ति तथा सद्भावना की ओर	०·५०	०·१०	जातक कथाएँ	०·७५	०·२५
जवाहरलाल नेहरू के भाषण			सरल पंचतन्त्र भाग १	०·७५	०·२०
भाग ६	०·०५	०·०५	भाग २, ३, ४ तथा ५ प्रत्येक	०·३५	०·१०
भाग ७ व ८ प्रत्येक	०·१०	०·०५	हमारे नए सिक्के	०·२५	०·०५
तपेदिक के रोगियों की देख-भाल	०·३५	०·१२		(रजिस्ट्रेशन व्यय अलग)	

२५ रुपये या इससे अधिक की पुस्तकें मगाने पर डाक व्यय नहीं लिया जाएगा।
रेखांकित पोस्टल आर्डर द्वारा रुपया प्राप्त होने पर सुविधा रहती है।

सभी प्रमुख पुस्तक-विक्रेताओं से प्राप्त या सीधे लिखें—

बिज़नेस मैनेजर

पब्लिकेशन्स डिवीज़न

पो० बा० २०११, ओल्ड सेक्रेटेरिएट,

दिल्ली–८

Printed at the Albion Press, Kashmere Gate, Delhi 6, and Published on behalf of Ministry of Community Development by the Publications Division, Delhi—8

Regd. NO. D. 28